लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३५, १९५९/१८८१ (शक)

[१६ से २७ नवम्बर १९५९/२५ कार्तिक से ६ अग्रहायण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-97
Fumigated
On 18.11.83
Parliament Library

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

284 (Ai) L.S.D.—11.

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ३५, अंक १ से १०—१६ से २७ नवम्बर, १९५९/२५ कार्तिक से ६ अग्रहायण १८८१ (शक)

अंक १—सोमवार, १६ नवम्बर, १९५९/२५ कार्तिक, १८८१ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १२, १४ से १९ और २१ . . . १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३, २० और २२ से ३४ . . . २७—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३ . . . . ३५—५६

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . . . ५६—५७

चीन-भारत सीमा दुर्घटना में मारे गये पुलिस सिपाही . . . ५७

स्थगन प्रस्ताव—

भारत-चीन सीमा दुर्घटनायें . . . . . . ५७—६५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ६५—६८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . . . ६८—६९

संसदीय समितियां—कार्य सारांश ६९

प्राक्कलन समिति—

बासठवां प्रतिवेदन ६९

भाखड़ा दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ७०

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . . ७१

आगरा-इलाहाबाद सवारी गाड़ी की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ७२

भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . . ७३—७४

समवाय (संशोधन) विधेयक ७५

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना

विधेयक—पुरस्थापित . . . . . ७५—७६

१. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

२. संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक

३. हज समिति विधेयक

स्त्र विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १०७—१५

अंक २—मंगलवार, १७ नवम्बर, १९५९/२६ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३५ से ४५ . ११७—४२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७६ . . . . . १४३—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से १२६ . . . . . १५६—९७

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . . . . . १९१—९५

बड़ाहोती से भारतीय सीमा पुलिस की वापसी—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . १९५—९७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता बन्दरगाह में आपात काल की घोषणा . . . १९७

शस्त्र विधेयक . . . . १९८—२२८

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

खण्ड २ से ४६ और १ . . . . . . २०५—२८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . . २२६—२८

विविध वैयक्तिक विधियां (विस्तार) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . २२९—३३

खण्ड २ से ४, अनुसूची १ और २ तथा खण्ड १ . . २३२—३३

पारित करने का प्रस्ताव २३३

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २३३

खण्ड २, ३ और १ . . . . . . २३७—३९

पारित करने का प्रस्ताव २३९

दैनिक संक्षेपिका . . . . २४०—४५

अंक ३—बुधवार, १८ नवम्बर, १९५९/२७ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७७ से ९० २४७—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१ से १२१ . . २७०—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३० से २०१ और २०३ से २०६ २८५—३१८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५८० के उत्तर में शुद्धि ३१८

श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी का निधन . . . . . ३१८—१९

अंक ४—गुरुवार, १९ नवम्बर, १९५९/२८ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२२ से १३२, १३४ और १३५ . ३२५—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १३३ और १३६ से १५४ . . . ३४९—५८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २७१ . . . ३५८—८५
स्थगन प्रस्ताव—
चीनियों द्वारा लद्दाख में एक हवाई अड्डे का कथित निर्माण . . ३८५—८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ३८९—९५
विधेयक पर राय ३९५
दहेज रोक विधेयक—
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . ३९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन ३९६
प्राक्कलन समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ३९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता . . . . . ३९६—९७
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर की शुद्धि . . . ३९७
विधि व्यवसायी विधेयक—पुरस्थापित ३९८
आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं) में परिवर्तन विधेयक . . ३९८—४१२
विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . . . ३९९—४१२
दामोदर घाटी निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . ४१२—२३
कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ४२३
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२४—३३

अंक ५—शुक्रवार, २० नवम्बर, १९५९/२९ कार्तिक, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या १५८, १५५, १५७, १५९ से १६२, १६४ से
१६७, १६९ और १७० . . . . ४३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १५६, १६८ और १७१ से १९५ . . ४५९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २७२ से ३०६, ३०८ से ३३३ और ३३५ से ३३८ ४७१—९९
स्थगन प्रस्ताव—
दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी को रोका जाना . . . ४९९—५००

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	५००—०३
सभा का कार्य	५०३
तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर की शुद्धि . .	५०३—०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	५०४
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पुरस्थापित .	५०४—०५
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक . .	५०५—१६
विचार करने के लिए प्रस्ताव	५०५—१६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	५१७
हैदराबाद अथवा बंगलौर में लोक सभा का एक सत्र होने के बारे में संकल्प .	५१७—४३
देश के प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में संकल्प	५४३—४४
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका	५४४
दैनिक संक्षेपिका	५४५—५२

अंक ६—सोमवार, २३ नवम्बर, १९५९/२ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०७, २०९ से २१३, २१७ से २१९, २२२ और २२३	५५३—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २०८, २१४ से २१६, २२०, २२१ और २२४ से २३२	५७९—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३९ से ४०८ . .	५८७—६१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१९—२२
प्राक्कलन समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	६२२
आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक	६२३—४४
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	६२३—३७
खण्ड २ से ५४, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १	६३७—४४
पारित करने के लिये प्रस्ताव	६४४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक .	६४४—५८
विचार करने के लिए प्रस्ताव . .	६४४—५८
चीनी की कमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६५८—६६
दैनिक संक्षेपिका	६६७—७३

विषय	पृष्ठ
अंक ७—मंगलवार, २४ नवम्बर, १९५९/३ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २३७, २३९ से २५०, २५२ और २५३ .	६७५—७०३
तारांकित प्रष्न संख्या २३९ के उत्तर में शुद्धि .	७०३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . .	७०३—०५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३८, २५१ और २५४ से २६९ . .	७०५—१३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४६५	७१३—३६
स्थगन प्रस्ताव—	
डा० राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी	७३६—३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	७३८—३९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल)	७३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेल गाड़ियों में डकैतियां	७३९
तेल के बारे में वक्तव्य	७३९—४२
जर्मन आस्तियों की मुक्ति के बारे में वक्तव्य . .	७४२
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . . .	७४२—४८
विचार करने के लिये प्रस्ताव	७४२
खण्ड २, ३ और १	७४७-४८
पारित करने के लिए प्रस्ताव	७४८
हज समिति विधेयक	७४८—६३
विचार करने के लिए प्रस्ताव	७४८
खण्ड २ से १९ और १७	७६१—६३
पारित करने के लिए प्रस्ताव	७६३
समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में वक्तव्य .	७६४—८४
दैनिक संक्षेपिका	७८५—९०
अंक ८—बुधवार, २५ नवम्बर, १९५९/४ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
*तारांकित प्रश्न संख्या २७१ से २७३, २७५ से २८०, २८२, २८४ से २८८, २९०, से २९२, २९४, २९५ और २९८	७९१—८१८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	८१८—१९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७४, २८१, २८३, २८६, २९३, २९६, २९७ और २९९ से ३१७	८२०—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ५२२	८३१—५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८५४—५७
राज्य सभा से सन्देश	८५७
प्राक्कलन समिति—	
चौसठवां प्रतिवेदन	८५८
तारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर की शुद्धि	८५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति	८५९
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—पुरस्थापित	८५९
भारत चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव	८६०—९७
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	८९७
दैनिक संक्षेपिका	८९८—९०५
अंक ९—गुरुवार, २६ नवम्बर, १९५९/५ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ से ३३२, ३३४ से ३३९ और ३४१	९०७—३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१९, ३२३, ३३३, ३४० तथा ३४२ से ३५२	९३०—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५५२ तथा ५५४ से ५७०	९३७—५४
स्थगन प्रस्ताव—	
भारत-पाक सीमांकन	९५४—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५७ ५८
जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के स्थान के बारे में वक्तव्य	९५८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतालसवां प्रतिवेदन	९५८—५९
प्रक्रिया का प्रश्न	९५९
भारत चीन सम्बन्धों के बारे में प्रस्ताव	९५९—१००२
दैनिक संक्षेपिका	१००३—०७

विषय | पृष्ठ

अंक १०— शुक्रवार, २७ नवम्बर, १६५६/६, अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ और ३५५ से ३६७ . . १००६—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ और ३६८ से ३६८ . १०३४—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७१ से ६२१ . . . . १०४७—६८

स्थगन प्रस्ताव . . . १०६८—७१

(१) भारत-पाक सीमांकन . १०६८—७०

(२) चिनाई—तिब्बत राजपथ . . १०७०—७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०७१—७२

राज्य सभा से सन्देश १०७२

सभा का कार्य . . . १०७२

दण्डकारण्य विकास प्रधिकार के संबंध में वक्तव्य १०७३—७४

सदस्य की रिहाई . . १०७४

भारत चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव . १०७४—८६

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक १०६०—६३

विचार कर के लिये प्रस्ताव . . . १०६०—६३

विधेयक पुरस्थापित . . . १०६३—६४

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . . . १०६३

(२) परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक . . १०६३—६४

(३) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक १०६४

धार्मिक पूजा स्थान प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) पुरस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत . . . . . . १०६४—६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १६८ का संशोधन) (श्रीमती सुभद्रा जोशी का) १०६५—१११७

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . १०६५—१११४

खंड २, १ और अधिनियम सूत्र . . . १११४—१७

पारित करने के लिये प्रस्ताव १११७

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री बाल्मीकी का)

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . . १११८—२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ११२७—३३

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचित राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

253 (Ai) LSD—1

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री वे० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित--आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़--उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क—(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीम नगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री सार्धन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुव (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (विलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगाँव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुकरण (बालासोर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आन्नद चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोडा, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महावीर (देहरादून)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

द--(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)
नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित--लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

न--(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण, (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद --रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री (सीतापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प--(क्रमशः)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

पार्वती, कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा --रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)

बाबूनाथसिंह, श्री (सरगुजा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब -- (क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर--रक्षित--अनूसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर--दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण, (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरंग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)

भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म---(क्रमश:)

मणियगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मत्रेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)

मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-मध्य)

मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुम, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद, अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहोदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथसिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

र--(क्रमशः)

राउत, श्री भोला (चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, (श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

रानै, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन् श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, , डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मंम्)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

र--(क्रमशः)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित--अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)

वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेडू (पश्चिमी खानदेश--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वन्त राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वैरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरुदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (तिरुमलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह. श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाज़ीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

स--(क्रमशः)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर--उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन्, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)

सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह—(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुबीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

श्री शिवराम रंगो राने

डा० सुब्बरायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री च० द० पांडे

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री मी० रू० मसानी

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री फतहसिंह घोडासर

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री सु० हंसदा

श्री र० सिं० किलेदार

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री षनमुघ गौंडर

श्री बै० च० मलिक

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति
डा० सुशीला नायर
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री न० रं० घोष
श्री मथुरा दास माथुर
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतीन
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकरपाण्डियन
श्री झूलन सिंह
श्री हेम बरुआ
श्री बासप्पा
श्री प्रताप केसरी देव
श्री द० अ० कट्टी
श्री भाऊसाहब रावसाहब महागांवकर
श्री मुत्तुकृष्णन्
श्री कुट्टिकृष्णन् नायर
श्री नागी रेड्डी
श्री वुनुकुरु रामी रेड्डी
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री दिनेश सिंह
सरदार इकबाल सिंह
श्री रघुनाथ सिंह
श्री तय्यपा हरि सोनावने
श्री सुन्दर लाल
श्री अ० मु० तारिक
श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी बाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घाटे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थानुलिंगम् नांदर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनुशंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री घनश्यामलाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वामी

श्री ले० अचौ सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपालानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री विजयराम राजू

श्री प्र० के० देव

श्री भा० कृ० गायकवाड़

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति--(क्रमश:)

लोक-सभा--(क्रमश:)

श्री कन्हैयालाल खादीवाला

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दुरायस्वामी गौण्डर

श्री नारायण गणेश गोरे

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री उ० मथुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाधन्

श्री अमर नाथ अग्रवाल

श्री जसपत राय कपूर

डा० आर० पी० दुबे

श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार--**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शिवराज

श्री राधेलाल व्यास

श्री तय्यापा हरि सोनावने

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्रीमती उमा नेहरू

श्री शंकरय्या

श्री पुरुषोतम दास पटेल

श्री अमजद अली

श्री मी० रू० मसानी

श्री न० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन —**सभापति**

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री —श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत मंत्री—हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री——सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री——श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री——श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री——श्री मौ० त्रे० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री —श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री——श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री——श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री——श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री——डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री——श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री——श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री——श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री——श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री——श्री कोत्ता रघुरमैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री——श्री मूहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री——श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री——श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री——श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री——श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री——श्री ब० सू० मूर्ति

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव——श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव——श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव——श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव——श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव——श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव——श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव——श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव——श्री श्यामधर मिश्र

लोक-सभा

बुधवार, १८ नवम्बर, १९५९

२७ कार्तिक, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली परिवहन उपक्रम

+

†*७७. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मास पूर्व दिल्ली परिवहन उपक्रम और उसके श्रमिक संघ में जो विवाद चल रहा था, और जिस के बारे में आन्दोलन चल रहा था, उसका फैसला हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि अब भी दिल्ली परिवहन उपक्रम के मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के प्रेसीडेंट और जनरल सैक्रेटरी और अन्य कई कर्मचारियों को मुअत्तल किया हुआ है और लगभग ७०० कर्मचारियों को 'चार्ज शीट' किया गया है। यदि हां, तो इस विवाद का निबटारा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** दिल्ली प्रशासन के समझौता पदाधिकारी ने एक बार समझौता कराने की कोशिश की थी परन्तु उनके प्रयत्न निष्फल रहे। मेरा ख्याल है कि ७०० कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** नौकरी से तो नहीं हटाया गया परन्तु उन्हें चार्जशीट किया गया है। इनके इलावा श्रमिक संघ के सात-आठ पदधारी मुअत्तल किये गये हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जा रहा है या इसकी जांच के लिये कोई व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है।

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह उपक्रम दिल्ली निगम द्वारा चलाया जा रहा है इसलिये मुझे कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली निगम के परिवहन समिति ने कुछ निर्णय किये हैं। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य की जानकारी बिल्कुल सही नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि दिल्ली निगम के मेयर की मध्यस्थता मानने के लिये तैयार थे और यदि हां, तो क्या सरकार भी इसके लिये तैयार है और क्या उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया जा रहा है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** सरकार की स्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। श्रमिकों और उपक्रम ने यह मामला मेयर को सौंपने का निश्चय किया था परन्तु मेयर ने इस में दखल देने से इनकार कर दिया तो यह बात वहां खत्म हो गई।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि श्रमिकों की एक मांग यह थी कि खराब बसें न चलाई जायें जिन से अधिक दुर्घटनायें होने और उनके अधिक बिगड़ने की सम्भावना है? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह विवाद किसी प्रार्थना के अस्वीकृत करने से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह विवाद तब उत्पादन हुआ जब उपक्रम ने चार कर्मचारियों—तीन ड्राइवर और शायद एक कंडक्टर के खिलाफ कार्यवाही की। सारा झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। बजाये इसके कि विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया जाता, एक आन्दोलन शुरू कर दिया गया और बहुत से कर्मचारी अनुपस्थित रहे। फिर एक तरह से हड़ताल की गई। तब उपक्रम ने अनुपस्थित रहे कुछ लोगों को चार्जशीट किया। उसके पश्चात् वे यह मामला मेयर को सौंपने के लिये तैयार हो गये। मेयर ने दखल देने से इनकार कर दिया। अब केवल इन चार कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही ही की जा रही है।

प्राचीन मूर्तियों का अनधिकृत निर्यात

†

*७८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों का एक गिरोह दिल्ली में पकड़ा गया है जो मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों से पुरानी मूर्तियों को चुराकर बाहर भेजते हैं;

(ख) उनके पास से कितनी मूर्तियां मिली हैं और वे किन-किन स्थानों से चुराई गई हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इसी प्रकार कुछ समय पूर्व खजुराहो से भी कुछ मूर्तियां चुराई गई थीं जो बम्बई में बरामद हुई थीं; और

(घ) इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) इस सिलसिले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और मामले की छानबीन हो रही है ।

(ख) ऐसा मालूम हुआ है कि दिल्ली में करीब ६८ मूर्तियां बरामद हुई हैं । वे कहां की हैं, इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा ।

(ग) चोरी की कुछ मूर्तियां मध्यप्रदेश में बरामद हुई हैं ।

(घ) यह सिफारिश की गई है कि चुंगी अधिकारी और राज्य सरकारें नियंत्रण को और कड़ा कर दें । केन्द्रीय और राज्यों के पुरातत्व विभागों से कहा गया है कि वे ज्यादा निगरानी रखें और जहां भी सम्भव हो, वहां इधर उधर पड़ी हुई प्राचीन चीज़ों को संग्रहालयों में पहुंचा दें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार उन फालतू पुरातत्व अवशेषों का व्यापार करके विदेशी मुद्रा कमाना चाहती है जो उन स्थानों पर स्थित हैं जहां बांध आदि बनाये जाने वाले हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस बारे में निश्चित नियम है कि अनोखी और बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियों का निर्यात नहीं किया जा सकता । यदि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र दे दे कि प्राचीन मूर्ति अपने ढंग की एक ही नहीं है तो हम कुछ हालतों में निर्यात की अनुमति दे देते हैं और उस से विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को पकड़ा गया है क्या वे सुन्दरनगर की फर्म वाले ही हैं या दूसरे के हैं ? इस घटना को हुए लगभग महीने भर से ज्यादा हो गया तो यह अभी तक पता क्यों नहीं चल सका कि यह जो मूर्तियां तोड़ी गईं वह जैन मन्दिरों की हैं, खजुराहों की हैं या दूसरे स्थानों की हैं ? मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** केवल उनके सर तोड़ दिये जाते हैं जिन्हें देख कर कोई विशेषज्ञ भी नहीं बता सकता कि वह शीर्ष देवगढ़ से लाया गया है या खुजुराहो से या किसी अन्य स्थान से । प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मुझे केवल यह कहना है कि १५ सितम्बर को दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और मामले की जांच हो रही है । यह पुलिस का मामला है जिसमें हम दखल नहीं दे सकते ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि हाल ही में पुलिस ने अमृतसर में एक प्राचीन वस्तु पकड़ी थी ? क्या सरकार को मालूम है कि मन्दिर से उसे कौन ले गया था ? क्या यह भी सच है कि मन्दिरों के पुजारी ही ये चीजें उठा कर ले जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** प्रश्न को तीन भागों में बांटा जा सकता है । पहला भाग उन प्राचीन मूर्तियों के बारे में है जो इधर-उधर पड़ी मिलती हैं । उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती । सुरक्षित स्मारक अलग वर्ग में रखे जाते हैं और यदि उनकी चोरी होती है तो हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं । अमृतसर का केस तो मुझे मालूम नहीं । इस सम्बन्ध में चोरी आदि को रोकने के लिये पुलिस और कस्टम विभाग को कड़ी हिदायतें दी गई हैं । स्थानीय लोगों की सहायता के बिना कोई इन सुन्दर

---

†मूल अंग्रेजी में

इमारतों को नष्ट करने का साहस नहीं कर सकता । इसलिये मैं ने केन्द्रीय पुरातत्व बोर्ड और विशेषकर संसद् सदस्यों से यह अपील की थी कि जनता को इस बारे में सतर्क किया जाये ।

†**श्री सूपकार** : क्या यह सम्भव है कि महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थानों पर निगरानी के लिये स्थायी कर्मचारी रखे जायें ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कुछ उपाय किये गये हैं । राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के लिये और चौकीदारों की मंजूरी दी गई है । इसके इलावा जहां कहीं इस प्रकार की चोरियां हुई हैं राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया गया है । अधिकतर ये घटनायें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में हुई हैं और मैंने स्वयं इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं । मेरे ख्याल से माननीय गृह-कार्य मंत्री ने भी मुख्य-मंत्रियों को लिखा है और कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि प्रिंस आफ वेल्ज़ संग्रहालय, बम्बई में से कुछ महत्वपूर्ण स्मारक तथा मूर्तियां, जिन में छत्रपति शिवाजी महाराज का बघ नख भी शामिल है, गायब की जा चुकी है और यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ कर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : बम्बई के प्रिंस आफ वेल्ज़ संग्रहालय से किसी वस्तु के गायब होने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही** : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार हर वस्तु की सुरक्षा नहीं कर सकता । दिल्ली में हर प्रकार के स्मारकों की सुरक्षा की जाती है परन्तु भारत के अन्य भागों में अच्छे-अच्छे स्मारकों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । स्मारकों की सुरक्षा के लिये क्या आधार बनाये गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह सही नहीं कि दिल्ली में हर स्मारक की सुरक्षा की जाती है । न ही यह बात सही है कि भारत के अन्य भागों में महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा नहीं की जाती । जहां तक हम से बन पड़ता है हर महत्वपूर्ण स्मारक की रक्षा की जाती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ स्थानीय लोग भी इस सम्बन्ध में पकड़े गये ?

अध्यक्ष महोदय : सारे हिन्दुस्तान में बहुत सी मूर्तियां हैं क्या करें ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : उन्हीं ने कहा कि स्थानीय लोगों की सहायता के बिना चोरियां नहीं हो सकतीं, क्या कोई स्थानीय लोग गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह सुझाव देना चाहते हैं कि उनकी रक्षा के लिये स्थानीय समितियां बनाई जायें ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं प्रश्न पूछते समय सुझाव तो नहीं देना चाहता परन्तु वहां किसी पदाधिकारी के रहने से ये चोरियां रोकी जा सकती हैं । क्या कोई स्थानीय लोग गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संरक्षित स्मारकों के लिये कर्मचारी नियुक्त किये हुए हैं । हाल ही में हम यह विचार कर रहे थे कि गांवों के सरपंचों को अपने क्षेत्र के स्मारकों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी जाये क्योंकि स्थानीय लोगों की सहायता के बिना मूर्तियां नहीं उठाई जा सकतीं जैसे कि खजुराहो में से उठाई गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये लौह-अयस्क

†*७६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये प्रति मास कितने लौह अयस्क की जरूरत है ।

(ख) इस समय रूरकेला इस्पात कारखाने को किन-किन क्षेत्रों से आवश्यक लौह-अयस्क मिल रहा है;

(ग) क्या कारखाने की कुछ मांग बरसुआ खान से भी पूरी की जा रही है;

(घ) बरसुआ खान के यंत्रीकरण पर कितनी लागत का अनुमान है; और

(ङ) इस खान के लिये किन-किन देशों से खनन मशीनरी तथा उपकरण का आयात किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लौह-अयस्क की वर्तमान मासिक खपत ४०,००० टन है ।

(ख) इस समय गुआ क्षेत्र से संभरण हो रहा है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) ६.५ करोड़ रुपये ।

(ङ) अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन ।

†**श्री पाणिग्रही** : कौन-कौन सी प्राइवेट कम्पनियां रूरकेला इस्पात कारखाने को लौह-अयस्क का संभरण कर रही हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हम ने राज्य व्यापार निगम को आर्डर दिया है और वह गुआ क्षेत्र की विभिन्न खानों से प्राप्त कर रहा है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि राज्य व्यापार निगम सब खानों से नहीं बल्कि केवल एक फर्म, बर्ड एण्ड कम्पनी, से ही लौह-अयस्क खरीद रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह निर्णय राज्य व्यापार निगम को करना है कि वह किस से सप्लाई ले ।

†**श्री सूपकार** : गुआ क्षेत्र से रूरकेला इस्पात कारखाने तक लौह-अयस्क लाने में परिवहन की कितनी लागत आती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है । यदि अलग प्रश्न की सूचना दी जाये तो जानकारी दी जा सकती है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : खानों से संभरण ले कर उसे रूरकेला इस्पात कारखाने को देने में राज्य व्यापार निगम कितना कमीशन प्राप्त कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : राज्य व्यापार निगम एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है । मैं उनकी कमीशन सम्बन्धी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : यह तो केवल जानकारी के लिये पूछा था । यदि हम प्रत्यक्ष रूप से खानों से लौह-अयस्क लें तो हमें कमीशन नहीं देना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य राज्य व्यापार निगम से संतुष्ट नहीं हैं तो वे संशोधन करके निगम को समाप्त कर दें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** रूरकेला इस्पात कारखाने को लौह अयस्क का संभरण करने के लिये बरसुआ खानें समय पर क्यों तैयार नहीं की जा सकीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** आवश्यक उपकरण समय पर नहीं लगाया जा सका।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** बरसुआ खानें कब तक तैयार हो जायेंगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** आशा है कि कुछ महीनों में तैयार हो जायेंगी, संभवतः मार्च या अप्रैल, १९६० में या इस से भी पूर्व।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने बताया है कि उपकरण पहुंच चुका है। उपकरण लगाने में विलम्ब कैसे हुआ ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने कब कहा कि उपकरण पहुंच गया है ? यदि पहुंच भी गया हो तो उसे लगाने में समय लगता है। माननीय सदस्य तो खानों के विकास से परिचित हैं। निर्माण कार्य होना है और अयस्क निकालने का संयंत्र लगाया जाना है। कई काम करने होते हैं और यह कोई साधारण काम नहीं है।

बम्बई राज्य का विभाजन

†*८०.
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सूपकार :
डा० रामसुभग सिंह :
श्री आचार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री प्रधान मंत्री द्वारा ११ सितम्बर, १९५९ को प्रेस कान्फ्रेंस में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य के विभाजन का मामला किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** अभी यह मामला सरकारी तौर पर पेश नहीं किया गया है ।

***श्री राम कृष्ण गुप्त :** अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बन जायेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जब ठीक मौका होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि अभी तक यह मामला सरकारी तौर पर पेश नहीं हुआ है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** प्रधान मंत्री इस बारे में कई वक्तव्य दे चुके हैं ।

†**श्री नाथ पाई :** विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बम्बई सरकार राज्य के विभाजन के बारे में एक विधान प्रस्तुत करने जा रही है और कर्मचारियों तथा आस्थियों के बटवारे के लिये दो समितियां नियुक्त कर दी गई हैं । क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री इसके सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो जानकारी दे रहे हैं । यह प्रश्न नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या इस मामले पर बम्बई और केन्द्रीय सरकार में कोई बातचीत हुई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने अनुपूरक प्रश्न चिटों पर लिख कर दे दें और गृह-कार्य मंत्री कल वक्तव्य दे देंगे ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : दो-तीन प्रश्नों के उत्तर दे दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री श्री नाथ पाई के प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि श्री नाथ पाई को विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिली है तो वह सही होगी ।

†**श्री खाडिलकर** : बम्बई राज्य के विभाजन का मामला किस अवस्था में है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मामला सरकार के सामने पेश नहीं हुआ है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या समाचार पत्रों की यह जानकारी सही है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम का संशोधन करने वाला विधेयक दिसम्बर के मध्य में संसद में प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया है ।

†**श्री बा० चं० कामले** : क्या सरकार इस मामले पर विचार नहीं करना चाहती और यदि चाहती है तो विचार किया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार शीघ्र ही इस मामले पर विचार करने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री महोदय ने दो एक बार बयान दिए हैं, जिससे कई बातों पर प्रकाश पड़ता है । क्या गृह मंत्री जी को प्रधान मंत्री जी के वक्तव्यों का ध्यान है और यदि है, तो इस सम्बन्ध में वह क्या कह सकते है ?

श्री गो० ब० पन्त : जो कुछ प्रधान मन्त्री जी ने कहा है, वह शब्दशः सत्य है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या नौ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई थी जिसके सदस्य गृह-कार्य मंत्री भी थे और इस समिति ने किस मामले पर विचार किया था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : नौ सदस्यों वाली समिति वर्तमान द्वैभाषी बम्बई राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करती रही है ।

केन्द्रीय वेतन आयोग

+

†*८१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रतिरक्षा विभाग के कर्मचारियों पर लागू होने के बारे में अध्ययन करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि समिति नियुक्त करने के आदेश अभी जारी किये गये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : केन्द्रीय वेतन आयोग की उन सिफारिशों का व्यौरा क्या है जिनका प्रभाव सशस्त्र बल पर पड़ेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : किसी सिफारिश का सशस्त्र बल पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे वेतन आयोगके क्षेत्र से परे हैं । इसी कारण यह समिति नियुक्त की गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस समिति की रचना क्या होगी, सभापति और सदस्य कौन होंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : समिति में प्रतिरक्षा मंत्रालय; वित्त (प्रतिरक्षा) मंत्रालय, आर्मी हैड क्वार्टर्स, नेवल हैड क्वाटर्स और एयर हैड क्वार्टर्स के प्रतिनिधि होंगे और समिति के सभापति प्रतिरक्षा उपमंत्री श्री रघुरामैया होंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : सशस्त्र बल में तीसरे वर्ग अर्थात ए० एस० सी०, इ० एम० ई० और आर्डनेंसिज़ आदि की स्थिति क्या है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह उन सब सरकारी कर्मचारियों के लिये है जो वेतन आयोग के अधीन नहीं आते।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इसका यह अभिप्राय है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्रतिरक्षा मंत्रालय में परिचालित किया जा चुका है और उस पर विचार किया जा चुका है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं। यह सही है कि यह समिति हाल ही में नियुक्त की गई है। गत कुछ मास से एक अध्ययन दल इन मामलों पर विचार करता आया है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर पूरी तरह यह समिति ही विचार करेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या समिति सशस्त्र बल कर्मचारियों के वेतन के बारे में ही विचार करेगी या कि कार्य करने की अवस्था के बारे में भी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : समिति ने निर्देश पद जगन्नाथ दास आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विचार करना होगा। अपनी सिफारिशें करते समय समिति को वर्तमान वेतन ढांचे का पूर्व इतिहास और अन्य बातों को अपने समक्ष रखना होगा।

प्रथम प्रावस्था में समिति वेतन आयोग की उन सिफारिशों को देखते हुए जिन का प्रतिरक्षा मंत्रालय के 'कम्बेटंटस' और 'एनरोल्ड नान कम्बेटंटस' पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता होगा अपनी सिफारिशें करेगी। द्वितीय प्रावस्था में समिति वेतन आयोग की उन सिफारिशों पर विचार करेगी जिन का प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है परन्तु प्रतिरक्षा कर्मचारियों की स्थिति जरा अलग होने के कारण उन पर विचार करना ज़रूरी होगा।

यदि इसके अतिरिक्त कोई और समस्यायें उत्पन्न हों तो सरकार उन्हें इस समिति को सौंपने के बारे में विचार करेगी।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या इस समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय निश्चित किया गया है और क्या उन्हें भूतलक्षी ढंग से लागू किया जायेगा।

†**श्री कृष्ण मेनन** : अभी कोई समय निश्चित नहीं किया गया है परन्तु विचार है कि सिफारिशें लगभग वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा होने अथवा उन्हें कार्यान्वित करने के समय प्रस्तुत कर दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिश्रधातु और औजारी इस्पात कारखाना

+

†*८२. श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री मुरारका :
श्री पांगरकर :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वारियर :
श्री खीमजी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित मिश्रधातु और औजारी इस्पात कारखानों की परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य भारतीय फर्म को देने का निश्चय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) फर्म प्रतिवेदन कब देगी; और

(घ) परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करने के लिये फर्म को कितना भुगतान किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान । परियोजना का विस्तृत तैयार करने और तदोपरान्त कारखाने का विस्तृत डिजाइन बनाने के लिये परामर्शदाता इंजीनियरों की एक भारतीय (प्रा०) लि० फर्म को चुना गया है ।

(ग) जून १९६० तक ।

(घ) परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने तथा तदोपरान्त परामर्शदाता इंजिनियरों की सेवा में प्राप्त करने के लिये फर्म को कुल ५९,६०,००० रु० दिये जायेंगे ।

†**श्री रा० चं० माझी** : इस कारखाने की प्रति वर्ष अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : आरम्भ में इसकी क्षमता ४०,००० टन पिण्डक होगी और यह व्यवस्था रहेगी कि यह ८०,००० टन तक बढ़ाई जा सके––हो सकता है कि प्रारम्भ में ही इतनी हो।

†श्री रा० च० माझी : यह कारखाना कहां बनेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निश्चय किया जायेगा।

†श्री तंगामणि : जून १९६० में परियोजना का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस कारखाने के बनने में कितना समय लगेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इसमें ढाई तीन वर्ष लगेंगे।

† श्रीबासप्पा : क्या यह भारतीय परामर्शदाता उस समिति का सदस्य था जो इस परियोजना के प्रतिवेदन की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी और अब यही सदस्य परामर्शदाता नियुक्त होगया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि परियोजना के प्रतिवेदन की जांच करने वाली समिति से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। मैंने यह जानकारी दी है कि परियोजना का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार होगा। अतः जब परियोजना का प्रतिवेदन ही नहीं है तो प्रतिवेदन की जांच करने वाली समिति हो ही नहीं सकती।

†श्री बासप्पा : क्या इसी परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक या तो विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये थे और उनके प्रतिवेदन पर एक समिति ने विचार किया था ? क्या यह वर्तमान भारतीय परामर्शदाता उसका सदस्य था ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि बात बता दूं क्योंकि जिस ढंग में प्रश्न रखा गया है वह सुन्दर नहीं है।

बात यह है कि हम, अर्थात् भारत सरकार, परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने तथा परामर्शदाता इंजिनियरों की सेवा के बारे में कुछ विदेशी फर्मों से बातचीत कर रहे थे। इन बातचीतों के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ से सलाह ली थी और वह वर्तमान फर्म के मालिकों में से एक था फिर, बातचीत करने से पता लगा कि यह काम एक भारतीय फर्म को दिया जा सकता है। अन्त में हमने यह काम भारतीय फर्म को देने का निश्चय कर लिया।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या परामर्शदाता इंजिनियरों की इस फर्म को मिश्रधातु इस्पात के इस विशेष कारखाने के लिये उचित स्थान की सिफारिश करने का काम दिया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं। फर्म ३ या ४ सम्भव स्थानों में से १ की सिफारिश करेगी।

†श्री तंगामणि : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अधिक क्षमता का सुझाव दिया है, और यदि हां, तो इसके बारे में मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : आरम्भ में यह क्षमता ४०,००० वार्षिक टन पिण्डक होगी और यह व्यवस्था रहेगी कि इसे शीघ्र ही बढ़ा कर ८०,००० प्रति वर्ष कर दिया जायेगा। भावी आवश्यकताओं की जांच हो रही है। सम्भव है कि अन्तिम क्षमता और भी अधिक हो। यह उसी कारखान में होगी या किसी अन्य कारखाने में, यह भिन्न विषय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या राज्य सरकारों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि यह कारखाना उनके राज्य में खोला जाये, और यदि हां, तो वे प्रार्थनायें किस किस राज्य ने की हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** नहीं, ऐसी कोई विशेष प्रार्थना नहीं की गई है। हां यह स्वाभाविक इच्छा व्यक्त की गई है कि कारखाना अमुक राज्य में स्थापित हो। मैसूर सरकार कुछ समय से लिखती रही है कि यह कारखाना भद्रावती में खोला जा सकता। इन सब बातों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने पर सावधानीपूर्वक जांच होगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस्पात के कारखानों के बारे में हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि जहां कहीं वास्तविक क्षमता ठीक निर्धारित नहीं की गई है, वहां हमें कठिनाई उठानी पड़ी है। अतः क्या यह प्रतिवेदन माननीय मंत्री द्वारा बताई गई बातों के आधार पर तैयार किया जायेगा, अथवा परियोजना के प्रतिवेदन का काम आरम्भ होने से पहिले ८०,००० टन से अधिक की अन्तिम क्षमता पर भी विचार किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** में माननीय सदस्या का प्रश्न नहीं समझ सका। मैंने यह बताया है कि उन क्षमताओं पर परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चकवर्ती :** अच्छा, तो हम समझें कि परियोजना के इस प्रतिवदन का आधार केवल ४०,००० से ८०,००० टन वार्षिक क्षमता होगी।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** नहीं, मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि यह प्रतिवेदन इस आधार पर होगा और हम यह भी ध्यान रखेंगे कि उसमें विस्तार की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखेंगे कि इसका प्रारूप और सामान्य सेवाओं की एसी व्यवस्था हो कि उनका बाद में विस्तार हो सके।

इलैक्ट्रोलियटिक मैंगनीज डाइआक्साइड[1]

+

†*८३. { **श्री स० च० सामन्त :** / **श्री सुबोध हंसदा :** / **श्री रा० च० माझी :** }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइआक्साइड बनाने के लिये राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में कोई उत्तम ढंग निकाला गया है ;

(ख) क्या यह देखने का कोई प्रयत्न किया गया है कि इस ढंग से वाणिज्यिक के निर्माण करना सम्भव है या नहीं; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर) :** (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम इसके वाणिज्यिक विकास के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electrolytic Maganese Dioxide.

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सामान आजकल आयात किया जाता है और यदि हां, तो आयात किये गये माल का मूल्य यहां बने माल के मूल्य की तुलना में कैसा होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मेरे पास के आंकड़ों के अनुसार १९५७ में १७ और १९५८ में २४ हंडरवेट आयात किये गये थे । आयात किये गये मैंगनीज डाइआक्साइड का औसत मूल्य, प्राकृतिक मैंगनीज डाइआक्साइड को छोड़ कर ३,५०० रु० से ४५,००० रु० प्रति टन है । आशा है कि हमारी प्रक्रिया से इसका मूल्य अनुमानतः लगभग ६५० रु० प्रति टन होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सारे कच्चे पदार्थ देश में उपलब्ध हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

छोटी धमन भट्टियां

+

†*८४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पाणिग्रही :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री तंगामणि :
श्री क० स० रामस्वामी :
श्री नरसिंहन :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी धमन भट्टियां और 'कनवर्टर' प्रयोगात्मक आधार पर बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दो भट्टियां लोहा बनाने के लिये और एक 'कनवर्टर' इस्पात बनाने के लिये बनाने की अनुमति दे दी गई है । अन्य दो भट्टियां और ३ 'कनवर्टर' बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । कुछ भट्टियों व 'कनवर्टरों' के लिये अनुमति देने का विचार है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात के लक्ष्य में से लगभग २५०,००० टन का निर्माण छोटी भट्टियों में होना निर्धारित कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) लोहा बनाने के लिये उड़ीसा और मद्रास राज्य में दो भट्टियों को लाइसेन्स दे दिये गये हैं और वे चालू हैं । बम्बई में एक 'कनवर्टर' बन रहा है । इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय धातु-कार्मिक प्रयोगशाला ने एक निम्न उदग्र भट्टी बनाई है जहां प्रयोग किये जा रहे हैं । एक छोटे 'कनवर्टर' का निर्माण हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या बड़ी धमन भट्टियों के पास इन छोटी धमन भट्टियों को बनाने का प्रयत्न किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि ऐसा करने में आर्थिक बचत होगी क्योंकि आर्थिक बचत की दृष्टि से काफी बड़ी भट्टियां बनाना चाहिये । इन्हें एकीकृत इस्पात कारखानों से अलग स्थानों पर बनाने का विचार है ।

†**श्री नरसिंहन :** क्या मद्रास सरकार ने या मद्रास को किसी गैर सरकारी फर्म ने सेलम में भट्टियां बनाने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** ऐसी एक भट्टी मद्रास में पहिले से ही चल रही है । जहां तक सेलम का प्रश्न है, उसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री नरसिंहन :** क्या इन भट्टियों की मशीनें भारत में बनेंगी, यदि हां तो इनके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हमें ऐसी ही आशा करनी चाहिये । हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि हमारी आवश्यकता की मशीनें देश में ही बनें । माननीय सदस्य जानते हैं कि रांची में भारी मशीन बनाने का कारखाना और गढ़ाई और ढलाई कारखाना बनेगा ।

†**श्री तंगामणि :** मद्रास की धमन भट्टी की वर्तमान क्षमता कितनी है और इस योजनानुसार इन धमन भट्टियों की अधिकतम क्षमता कितनी होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** शायद यह १५,००० टन प्रतिवर्ष है । और बड़ी भट्टियां बनाने का विचार नहीं है क्योंकि लोहे और इस्पात को विकास अनिवार्य रूप से सरकारी क्षेत्र में है । ये छोटी भट्टियां विशेषकर स्थानीय आवश्यकता पूर्ति के लिये एवं कोयला व कच्चा लोहे से दूर स्थानों के अयस्कों का उपयोग करने के लिये है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सरकार सारी छोटी भट्टियों को गैर सरकारी क्षेत्र में रखना उचित समझती है अथवा कोई छोटी भट्टी सरकारी क्षेत्र में भी स्थापित करने का विचार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यदि सरकारी क्षेत्र में स्वितार होता है तो यह छोटी भट्टियों के बजाये बड़ी भट्टियों का होगा क्योंकि उनकी अर्थ व्यवस्था उत्तम है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** अबतक स्थापित हुई भट्टियों और 'कनवर्टरों' पर कुल तथा आगे बनने वाले कनवर्टरों की लागत कितनी होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । भविष्य में स्थापित होने वाले 'कनवर्टरों' की संख्या आगे निश्चित की जायेगी ।

मद्रास और उड़ीसा की गैरसरकारी दो भट्टियों की लागत आरम्भ में लगभग ५० लाख रु० थी परन्त इन पर वास्तव में लगभग १ करोड़ रु० व्यय हुआ है ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न स्थानों पर कच्चा लोहा और इस्पात बनाने के लिए ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनाने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** सरकार किसी भी उद्योग के लिए सहकारी समिति बनाना पसन्द करेगी और जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह इस बात पर निर्भर करेगी कि सहकारी समितियाँ कितनी पहल करती हैं ।

†**श्री नरसिंहन :** १४ सितम्बर के "टाइम्स ग्राफ इंडिया" में निम्न उदग्र भट्टी के चालू होने के बारे में समाचार था कि 'कलिंगा इण्डस्ट्रीज लि० के मि० बी० पटनायक ने कलकत्ता में सम्वाद-दाताओं को बताया कि मद्रास स्थित सेलम में बनने वाला उनका ९५ प्रतिशत कारखाना बारबिल के भारतीय इंजिनियरों द्वारा बनाया जायेगा । क्या सरकार इसके बारे में कुछ बतायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह सूचना माननीय सदस्य स्वयं दे रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि उड़ीसा स्थित बारबिल में धमन भट्टी में लोहा बनाने की वर्तमान लागत बड़े इस्पात के कारखानों की अपेक्षा अधिक है ? यदि हां, तो क्या उन्हें विदित है कि छोटी धमन भट्टी लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** छोटी धमन भट्टी में उत्पादन-व्यय का अधिक होना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है । यह कितना अधिक है, यह मैं नहीं बता सकता ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** पिछली बार हमें बताया गया था कि कुछ धमन भट्टियों का निर्माण व डिज़ाइन प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ किया जायेगा । क्या प्रयोगात्मक स्थिति समाप्त हो गई है और सरकार ने कोई निश्चय कर लिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हां, मैं अब भी यही कहता हूं कि धमन भट्टियों का निर्माण व डिज़ाइन बनाना आरम्भ होना चाहिये । हमने मुख्य डिज़ाइन संस्थायें बनानी आरम्भ कर दी हैं परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में बनने वाली प्रत्येक धमन भट्टी का डिज़ाइन हमारे विशेषज्ञों द्वारा बनाया जायेगा ।

देवनागरी लिपि में सुधार

†*८५ { + **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १११६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से पहले देवनागरी लिपि के सुधार के बारे में विशेषज्ञ समिति की जो बैठक हुई थी उस में किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ख) क्या देवनागरी लिपि के अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से उक्त लिपि के सुधार के बारे में प्राप्त सुझावों पर भी इस बीच विचार किया गया है ; और

(ग) संशोधित देवनागरी लिपि देश भर में कब से लागू की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट१, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों से प्रार्थना की जा रही है कि वे परिशोधित देवनागरी लिपि को तत्काल लागू करें ।

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न के खंड (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सम्मेलन में जो सुझाव दिये गये उन पर विचार किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है ताकि जनता में या विद्वानों में जो गलतफहमियां हैं वह दूर हो जायें ।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई ।

†**श्री दी० च० शर्मा :** देवनागरी लिपि सुधार का संबंध भारत की सभी भाषाओं से होगा । क्या भारत की सारी राष्ट्रीय भाषाओं के प्रतिनिधि इस समिति में सम्मिलित थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सारा मामला शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था । इस से अधिक प्रतिनिधानकारी सम्मेलन की बात मेरे विचार में नहीं आती । उस में एक निश्चय किया गया है जो बाद में केबिनट ने अनुमोदित कर दिया ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । पर मैं जानना चाहता हूं कि स्वयं केन्द्रीय सरकार इस बारे में कौन से कदम उठा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, उन्होंने इस मामले में निर्णय कर लिया है, और जहां तक टाइपराइटर और टेलिप्रिंटर का सम्बन्ध है उस के विचार के लिये भी कोशिश की जा रही है और मैं आशा करता हूं कि इस मामले में भी अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टाइपराइटर की की बोर्ड, अर्थात् टंकण पटल के संबंध में निर्णय लोगों को जाहिर कर दिये गये हैं यदि नहीं, तो यह कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रमाली : शीघ्र ही ।

श्री कमलनयन बजाज : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने या मंत्रालय ने इस पर विचार किया है कि आचार्य विनोबा भावे ने भारत की सारी ही भाषाओं की लिपियों

---

†मूल अंग्रेजी में

का अभ्यास करने के बाद नागरी लिपि में कुछ ऐसे सुधार सुझाये हैं जिन की बदौलत प्रिंटिंग और लिखने की सहूलियत के साथ साथ नागरी लिपि में जो समझ में ने आने की गुंजाइश रह गई है उसे भी दूर करने के लिये कम से कम परिवर्तन करके उस को पर्फेक्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस मामले में पिछले दस, बारह सालों से विचार हो रहा है, और सब पहलुओं को सामने रखने के बाद और विचार करने के बाद सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया है ।

कानपुर की हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी में बूट संयंत्र

+

†*८६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री उस्मान अली खां :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी में बूट संयन्त्र स्थापित करने में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** परियोजना के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीन की प्राप्ति की बातचीत हो गई है । टेक्निकल विशेषज्ञ उत्पादन की योजनायें बना रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने कहा था "कदाचित सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं और आशा है कि यह यथा शीघ्र पूरा हो जायेगा ।" कानपुर की हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी में यह संयन्त्र क्या १९५९ या १९६० में पूरा हो जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया :** मैं समझता हूं कि यह १९६० में पूरा हो जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** रोज़गार के बारे में माननीय उपमंत्री ने कहा था कि उनके पास कोई आंकड़े न थे । इस संयन्त्र के पूरा होने पर कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा ?

†**श्री रघुरामैया :** टैनिंग तथा अन्य विभागों पर अधिक रोज़गार पाने के अतिरिक्त स्थापित होने वाले संयन्त्र पर हम समझते हैं कि १०० व्यक्ति रखे जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक पब्लिक परीक्षाओं में असफल परीक्षार्थी

+

†*८७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डे ।
श्री सं० अ० मेहदी :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही देश के विभिन्न भागों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सचिवों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी और उस में माध्यमिक पब्लिक परीक्षाओं में असफल होने वाले परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श किस तरह के हुए और यदि उस में कोई निश्चय किये गये तो क्या किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस विषय पर सम्मेलन ने एक संकल्प स्वीकार किया जो पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ३६]**

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** माध्यमिक पब्लिक परीक्षाओं में फेल होने वाले परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या की दृष्टि से क्या सरकार का विचार वार्षिक परीक्षा के स्थान पर साप्ताहिक परीक्षा आरम्भ करने और इन के परिणाम के आधार पर प्रगति घोषित करने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस सम्मेलन ने कछ सुझाव दिये हैं और जो संकल्प इस ने स्वीकार किये हैं उन से उन सामान्य आधारों का बोध होता है जिन से इस विषय का समाधान होगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्योंकि हमारे देश के विकास में विज्ञान और टेक्नालाजी का बड़ा हाथ रहेगा और वे गणित के बिना प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिये क्या सरकार का विचार सैकेंडरी स्कूलों की सारी कक्षाओं में गणित अनिवार्य विषय बनाने का है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अधिकतर राज्यों में गणित पहिले से ही अनिवार्य विषय है । गणित के अध्यापन के बारे में माननीय सदस्य कान्फ्रेंस की सिफारिशों को देखें तो उन्हें विदित होगा कि कान्फ्रेंस ने गणित के अध्यापन के ढंग को सुधारने पर भी जोर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माध्यमिक परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग ५० है, या इस से कुछ थोड़ा कम है, मैं जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के समय और परिश्रम को नष्ट होने से बचाने के लिये मंत्रालय क्या कार्य कर रहा है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मंत्रालय सीधे तो कुछ नहीं करता है क्योंकि सदस्य महोदय जानते हैं कि यह सब काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही होता है । लेकिन समय समय पर इस बात की जांच की जाती है और आल इंडिया कौंसिल फार सेकेन्डरी एजूकेशन को मशिवरा दिया जाता है । मंत्रालय में इस बारे में बराबर ध्यान दिया जा रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** विवरण के संकल्प संख्या १ (ख) में उल्लेख है : "दो स्तर की परीक्षा होगा, एक उन विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए यह परीक्षा सावधि होगी और दूसरी उनके लिए जिनके लिये वह आगे उच्च पायेंगे" ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या कान्फ्रेंस की सिफारिशों और संकल्पों के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई निदेश देगी ?

†**डा का० ला० श्रीमाली** : हम निदेश नहीं देते हम प्रार्थना करते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में उन लोगों का सीधा संबंध नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन इलाकों में इस मंत्रालय का शिक्षा की प्रगति कराने से सीधा संबंध है, यानी यूनियन टेरिटरीज में, वहां इसको सफलता क्यों नहीं मिल रही है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : वहां भी हमारा बिल्कुल सीधा संबंध तो नहीं है क्योंकि वहां का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी सीधी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जैसा मैंने आप से कहा इन टेरिटरीज में भी और राज्यों में भी बराबर स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री ब्रजराज सिंह । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सही है कि जो फेल्योर्स होती हैं उन में से ८० प्रतिशत ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में होती हैं । यदि यह सही है तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि अंग्रेजी की कम्पलसरी पढ़ाई खत्म कर दी जाय, और यदि नहीं तो कम से कम अंग्रेजी में इम्तहान लेना बन्द कर दिया जाय ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यह सही है कि काफी लड़के अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, लेकिन स्तर को ऊंचा करने का यह कोई उपाय नहीं है कि अंग्रेजी को बिल्कुल सैकेन्डरी स्कूलों से निकाल दिया जाय । बल्कि हम तो चाहते हैं कि अंग्रेजी का भी स्तर इन स्कूलों में ऊंचा हो ।

श्री ब्रजराज सिंह : आप इसे देश की जनता पर जबर्दस्ती थोपना चाहते हैं ?

†**श्री तंगामणि**: कान्फ्रेंस ने देखा है कि गणित में प्रगति बहुत कम है और सैकें.री शिक्षा बोर्ड से इसकी जांच करने को कहा है । क्या अपनी जांच पड़ताल के परिणाम बताने के लिये बोर्ड के लिये समय निर्धारित किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नहीं, श्रीमान् । कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में असफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत ७० था ? क्या यह सच नहीं है कि संभावित असफलता की ओर माननीय मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस कान्फ्रेंस से काफी पहिले आकर्षित किया गया था ? क्या तब कोई कार्यवाही की गई थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५८–५९ में मेरा विचार है कि औसत प्रतिशत ५२.१ था और विभिन्न परीक्षा समितियों का प्रतिशत ४०.५ से ६७.२ था । यह सच है कि माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान एक राज्य-विशेष के बारे में आकर्षित किया था और हमने इस पर राज्य सरकार से पत्र व्यवहार किया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि उस राज्य विशेष में असफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत ६५ से ७० तक है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हो सकता है ।

सरकारी कर्मचारियों के परिवारों का कल्याण

\+

*८८. { **श्री वाजपेयी :**
श्री वै० च० मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को कोई परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की उचित देखभाल करने के लिये सचेत किया गया है ;

(ख) क्या इस परिपत्र में यह कहा गया है कि जो कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों की उचित देख भाल करने में उपेक्षा करेंगे उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं अथवा घटनायें घटी हैं जिनके परिणामस्वरूप यह कदम उठाना पड़ा है ; और

(घ) इन हिदायतों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). जी हां । उक्त आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(घ) मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री वाजपेयी** : सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कितनी शिकायतें आयी हैं और क्या सरकार ने इस बात का विनिश्चय करने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार की घटनाओं के क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार के ध्यान में इस प्रकार के कुछ मामले आये हैं । इसीलिये सरकार को इस सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करना पड़ा है और कार्यालय ज्ञापन (आफिस मेमोरेंडम) जारी करना पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं और वे अपने संबंध में न्यायालय में अपना मामला दर्ज करा सकती हैं; सरकार ने पूर्णतया व्यक्तिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की है ?

†**श्री दातार** : इस ज्ञापन (मेमोरेंडम) में स्पष्टतया लिख दिया गया है कि अपने परिवार से बुरा व्यवहार करना सरकारी कर्मचारी के लिये अशोभनीय है। और सरकार ने ऐसा सोचा कि यदि आवश्यकता हो तो इस संबंध में कोई नियम भी बना दिया जाये और इसीलिये यह नियम बना दिया गया है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने परिवारों के प्रति की जाने वाली कथित उपेक्षा का कारण यह नहीं है कि वे जानबूझ कर बुरा व्यवहार करते हैं, अपितु, मूल कारण यह है कि उनके वेतन बहुत कम हैं और मंत्रालय द्वारा उन्हें बहुत कम सुविधायें दी जाती हैं ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : सरकार के पास ऐसा कौन सा मापदंड है जिससे इस बात की जांच की जा सके कि किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई अशोभनीय व्यवहार किया है ? क्या यह सच नहीं है कि इससे किसी भी कर्मचारी को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा व्यर्थ में ही परेशान किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : इस प्रकार के मामलों में एक सुनिश्चित तरीका निर्धारित किया जायेगा और उससे किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ में परेशान नहीं किया जा सकेगा ।

†**श्री च० कृ० भट्टाचार्य** : क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने माता पिता को सहारा दें ?

†**श्री दातार** : यह एक व्यापक प्रश्न है, परन्तु हम यहां पर तो पत्नी और बच्चों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री च० कृ० भट्टाचार्य**: क्या सरकार की यह राय है कि माता पिता अपने पुत्रों के आश्रित नहीं होते ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि वैधानिक दायित्व और नैतिक दायित्व में अन्तर है। अपने परिवार के प्रति तो वैधानिक दायित्व होता है और देश के साधारण कानून के अधीन माता पिता के प्रति व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है, नैतिक कर्तव्य होता है ।

†**श्री च० कृ० भट्टाचार्य** : क्या हमारे देश की विधि के अनुसार माता पिता की देखभाल एक वैधानिक दायित्व नहीं है ?

†**श्री दातार** : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह पूछना चाहते हैं कि हाल ही में बनाये गये कानून के अनुसार माता पिता की देखभाल करना पुत्र के लिये आवश्यक है ?

†**श्री दातार** : वे स्वयं कानून जानते हैं, इसलिये मुझे इस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

दिल्ली अध्यापक संघ

†८९. **पं० द्वा० ना० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अध्यापक संघ ने यह मांग की है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की देखभाल के लिये एक परामर्शदात्री समिति बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) विषय विचाराधीन है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : यदि कोई समिति स्थापित की भी गयी, तो उसकी स्थिति क्या होगी और उसके क्या-क्या कार्य होंगे।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दिल्ली शिक्षक सन्था ने यह सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा एक ऐसी परामर्शदात्री समिति स्थापित की जाये जो कि प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में दिल्ली प्रशासन को परामर्श दे। क्योंकि मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है, इसलिये इसकी स्थिति और कार्यों के बारे में इसी समय बताना संभव नहीं है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण शिक्षक सन्था को यह संकल्प पारित करना पड़ा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह मांग की गयी थी कि :

> "शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को उचित स्थान प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके कार्य में अधिकारियों की ओर से होने वाले अधिक नियंत्रण तथा हस्तक्षेप को दूर कर दिया जाये। इसके लिये दिल्ली की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में देख-रेख करने के लिये शिक्षा शास्त्रियों का एक सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाये। यह बोर्ड सब से पहले शिक्षा के रूप, स्कूलों तथा शिक्षकों के स्थानान्तरण, दाखिले समस्या आदि से संबंधित मामलों के बारे में विचार करे।"

श्री जगदीश अवस्थी : जैसा कि मंत्री महोदय को मालूम है कि शिक्षा संचालक महोदय ने दिल्ली में एक परिपत्र के द्वारा कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को दिल्ली के शिक्षक संघ का सदस्य बनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जब कि यह संघ सब प्रकार के शिक्षकों की एक सर्व-मान्य संस्था है और १६ सालों से बराबर इसके सदस्य रहे हैं तो क्या वह प्रतिबन्ध अब भी लागू है और यदि लागू है तो उसका क्या औचित्य है और क्या सरकार उसको हटाने पर विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न इस में से नहीं उठता। यदि आप अलग प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दूंगा।

†**श्री राधा रमण** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शिक्षा मंत्रालय ने पहले एक बार यह घोषणा की थी कि हाल के कुछ वर्षों में दिल्ली की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

क्या दिल्ली शिक्षक संस्था द्वारा प्रस्तावित इस परामर्शदात्री अथवा सलाहकार समिति की स्थापना सुधार की दिशा में एक प्रभावकारी कदम नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य को ज्ञात है कि पहले से ही एक सलाहकार समिति है जिसके सभापति माननीय गृह-कार्य मंत्री हैं । वही समिति सरकार को शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में परामर्श देती है । अब जिस बात पर विचार करना है वह यह है कि क्या एक और समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता है । इस बात पर विचार करने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया जा सकेगा और इस पर अधिक समय नहीं लगेगा ।

भारतीय मुद्रा के मूल्य में कमी

+

†*९०. **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री पाणिग्रही :
श्री मो० ब० ठाकुर :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जैसा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने इन्स्टीच्यूट आफ बैंकर्स को अपने पत्र में बताया है कि भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में लगभग २९ प्रतिशत कमी हो गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जी, हां । थोक कीमतों के सामान्य देशनांक के आधार पर १९४७–४८ से रुपये के आन्तरिक मूल्य में २९ प्रतिशत कमी हो गयी है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या कहीं से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन कर दिया जाये ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** संभव है कि किसी ने बिना सोचे समझे यह कह दिया हो ।

†**श्री विमल घोष :** क्या मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप हमारे निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** फैलती हुई अर्थ व्यवस्था में कुछ कमी हो जाना स्वाभाविक ही है । परन्तु फिर भी हमारे देश में होने वाली कमी इतनी अधिक नहीं है जितनी कि अन्य देशों में हुई है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ एक आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिनसे ज्ञात होगा कि अन्य देशों में १९४८ से १९५८ तक आन्तरिक क्रय शक्ति में कितनी वार्षिक कमी हुई है :--

	प्रतिशत
फ्रांस	६.८
जापान	४.५
ब्रिटेन	४.३
दक्षिणी अफ्रीका	३.९
कनाडा	२.५
अमरीका	१.८
पश्चिमी जर्मनी	१ ७
भारत	१.७

†मूल अंग्रेजी में

कुछ एक लेटिन अमरीकन देशों में यह कमी २३ से ३८ प्रतिशत तक हो गई है। इस दृष्टि से हमारा देश उन देशों से अच्छी स्थिति में है।

†**श्री विमल घोष :** मेरा यह प्रश्न नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे केवल यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री विमल घोष :** मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री यह महसूस करते हैं कि इसका हमारे निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी, नहीं। संभव है कि ऐसा लेशमात्र असर पड़ा हो, परन्तु अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में हमारी मुद्रा के मूल्य में बहुत कम कमी हुई है और उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा है।

†**श्री विमल घोष :** तो क्या इससे यह तात्पर्य है कि इसका निर्यात पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इतना अधिक असर नहीं पड़ा है कि इसके लिये सरकार को कोई विशेष कार्यवाही करनी पड़े।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या माननीय वित्त मंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा के दौरान यह देखा है कि डालर, पौंड तथा स्विस फ्रांक की तुलना में हमारी मुद्रा के मूल्य में कुछ कमी हुई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी, नहीं। फिर भी हम इस पर नजर रखे हुये हैं, परन्तु इस बात का सबसे अच्छा हल यह है कि हम हर दिशा में उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करें और हम ऐसा प्रयत्न कर भी रहे हैं।

†**श्री रंगा:** क्या यह सच नहीं है कि यदि सरकार इस प्रकार से मुद्रा को बढ़ाती गई तो उससे मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो स्वाभाविक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चुनाव आयोग की सिफारिशें

†*६१. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **विधि** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : चुनाव आयोग की शेष सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं। इन सिफारिशों के बारे में चुनाव आयोग, अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों तथा राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने और विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

नूनमती (गोहाटी) तेल शोधन कारखाना

†*९२. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री हेम बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नूनमती (गौहाटी) में एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या रूमानिया से कारखाने के प्रविधिक डिजाइन प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) क्या उन डिजाइनों के निर्माण में कोई भारतीय व्यक्ति भी सहयोग दे रहे हैं ;

(घ) क्या विशेषतया प्रविधिक सहायता सम्बन्धी करार को कार्यान्वित किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या ब्योरे हैं ;

(च) क्या रूमानिया के विशेषज्ञों ने हाल ही में उस स्थान का दौरा किया था और कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) वाणिज्यिक संविदा २० अक्तूबर, १९५८ को किये गये अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुकूल ही है।

(च) और (छ). रूमानिया के विशेषज्ञों ने सितम्बर/अक्तूबर, १९५९ में तेल शोधन कारखाने के स्थान का दौरा किया था, परन्तु उनकी अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संगठन

†*श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : कुछ एक चुने हुये औषधीय जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ाने और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की गई है। सितम्बर, १९५९ के बाद की गयी प्रगति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

अन्दमान में लोकतन्त्रात्मक सुधार

†*९४.
- **डा० राम सुभग सिंह :**
- **श्री कोडियान :**
- **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
- **श्री गोरे :**
- **श्री अ० क० गोपालन :**
- **श्री कुन्हन :**
- **श्री अमजद अली :**
- **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अन्दमान से आया हुआ एक प्रतिनिधि मण्डल तथा कुछ सरकारी प्रतिनिधि अन्दमान में लोकतन्त्रात्मक सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये गृह-कार्य मंत्री से भेंट करने गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप से क्या क्या मांगें थीं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

क्रिकेट में प्रशिक्षण देने के लिये विदेशी विशेषज्ञ

†*९५. श्री कोडियान : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में खेलों में, विशेष कर क्रिकेट में, प्रशिक्षण देने के लिये किन्ही विदेशी विशेषज्ञों को विनियोजित करने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सुझाव है कि एक राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था[1] की स्थापना की जाये, जहां पर विदेशी शिक्षक भारतीय शिक्षार्थियों को हाकी के अतिरिक्त अन्य लगभग सभी खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ।

कारूण्य उपदान निधि[2]

†*९६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ तथा १९५९ के वर्षों में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये कुल कितनी कारूण्य उपदान निधि निर्धारित की गई थी और उसमें से कितनी राशि अभी तक दी जा चुकी है ;

(ख) यह उपदान किस आधार पर दिया गया है; और

(ग) क्या इस योजना के अधीन १ जून, १९५३ को या उसके बाद मरने वाले पदाधिकारियों के आश्रितों को उपदान दिये जाने की व्यवस्था है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) प्रारम्भ में १ जून, १९५३ से लेकर १ अप्रैल, १९५८ तक मरने वाले पदाधिकारियों के आश्रितों को अदा करने के लिये ४ लाख रुपयों की राशि निर्धारित की गई थी । जहां तक १ अप्रैल, १९५८ तथा उसके बाद मरने वाले पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके आश्रितों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं । १ लाख में से बची हुई शेष राशि अगले वर्ष में भी प्रयोग में लायी जा सकेगी परन्तु इस बात का सदा ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल २ लाख रुपयों से अधिक राशि जमा न हो जाय ।

१९५८ के पत्री वर्ष में कारुण्य उपदान निधि में कुल १,३१,८०० रुपये थे । १९५९ के पत्री वर्ष में अभी तक कुल १,३५,३०० रुपये दिये जा चुके हैं ।

(ख) निधि से ये राशियां प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर दी जाती है; परन्तु ऐसा करते समय निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित की गई कुछ एक सीमाओं तथा अन्य आवश्यकताओं को सदा ध्यान में रखा जायगा । इन नियमों का निर्माण एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिव, वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) के वित्तीय सलाहकार तथा चीफ़ आफ़ स्टाफ़ कमेटी के चेयरमैन सम्मिलित हैं ।

(ग) जी, हां ।

नवेली लिग्नाइट परियोजना

†*९७. **श्री नरसिंहम :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवेली लिग्नाइट क्षेत्र में अभी तक कितने 'बकेट बेल्ट एक्सकेवेटर' लगाये गये हैं ;

(ख) क्या वे सभी आशा के अनुकूल काम कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Instiute of Sports.

[2]Compassionate Gratuity Fund.

(ग) क्या उनके कार्य में कोई ऐसी त्रुटि देखी गई है जिससे वे अनुमानिक क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) इन यंत्रों से खोज सम्बन्धी किस दर से और कितना कार्य हो रहा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) दो । प्रत्येक की ३५० लिटर वकेट की क्षमता है ।

(ख) उन्हें अभी परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है ।

(ग) ये यंत्र क्षमता तथा कार्य के सम्बन्ध में परीक्षण में सफल सिद्ध हुये हैं । उनमें कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आयी ।

(घ) इन यंत्रों की निर्धारित क्षमता प्रति घण्टा ९२० घन मीटर ठोस वज़न हटाने की है । परन्तु परीक्षण के दौरान वे केवल २०० घन मीटर प्रति घण्टा ही ठोस वज़न हटा सके हैं । इसका कारण यह है कि राज्य सरकार अभी तक उन यंत्रों के लिये पर्याप्त विद्युत् संभरित करने के सम्बन्ध में संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर सकी है । 'बूस्टर्स' लगाने का काम इस समय हो रहा है । इनके अतिरिक्त कुड्डलर के रेत के पत्थरों को हटाने के लिये वकेट के पहियों के लिये बढ़िया किस्म के दांते लगाने के लिये अभी तक प्रयोग हो रहे हैं ।

रूरकेला में नाइट्रिक एसिड का कारखाना

†*९८. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइज़र्ज़ एण्ड केमिकल्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा रूरकेला के उर्वरक कारखाने में नाइट्रिक एसिड तथा नाइट्रो-लाइमस्टोन कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कारखाना कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) मेसर्ज़ सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुख्य संयंत्र तथा उपकरणों के लिये आर्डर भेजे जा रहे हैं । लगभग ६० प्रतिशत स्थान निर्माण-कार्य पूरा करना हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की जिम्मेवारी थी और वह कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) आशा है कि नवम्बर, १९६१ तक सम्पूर्ण कार्य पूरा हो जायेगा और १९६२ के प्रारम्भ में कारखाने में काम प्रारम्भ हो जायेगा ।

कैलिशयम कार्बाइड

†*९९. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत्-रसायनिक अनुसन्धान संस्था, करायकुडी, में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप मद्रास राज्य में एक केल्शियम कार्बाइड उद्योग स्थापित किये जाने की कोई आशा है ;

(ख) क्या करायकुडी संस्था में निकाली गई नयी प्रक्रिया से देश में 'ए' ग्रेड के कार्बाइड का निर्माण करना सम्भव हो गया है; और

(ग) देश में केल्शियम कार्बाइड की कुल कितनी मांग है और इस समय कितना उत्पादन होता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत्-रसायनिक अनुसन्धान संस्था के किये गये परीक्षणों से केल्शियम कार्बाइड प्राप्त हुआ है और उसका परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि वह भारतीय प्रमाप संस्था के प्रमाप के ग्रेड 'ए' के समान है। इस सम्बन्ध में सुनिश्चित प्रगति जानने के सम्बन्ध में और अधिक खोज की जा रही है।

(ग) १९५८-५९ में देश में केल्शियम कार्बाइड का कुल उत्पादन और उपभोग क्रमशः ३७९७ टन और १३०९७ टन था।

इस्पात की खपत के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति

†*१००. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वारियर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ तक तैयार किये जाने वाले चालीस पचास लाख टन बढ़िया इस्पात की खपत के लिये देश की क्षमता के बारे में सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†मूल अंग्रेजी में

संरक्षित स्मारक

†*१०१. { **श्री सै० म० मेहदी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने संरक्षित स्मारकों की संख्या कम करके लगभग ३००० कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या बाकी के स्मारकों को देखभाल और रक्षा के लिए राज्यों अथवा स्थानीय निकायों के हवाले किया जायेगा; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के स्मारकों की संख्या कुल कितनी होगी?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (घ). भारत के संविधान की संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की सूची १, मद संख्या ६७ के अनुसार हमें राष्ट्रीय महत्व के पुराने और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा का उत्तरदायित्व संघीय पुरातत्व विभाग पर है। अतः पुरातत्व केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति से कहा गया है कि उसे वर्तमान स्मारकों में से ऐसे स्मारकों को छांटना चाहिए जो कि केवल स्थानीय महत्व के ही हों और उन्हें संघ सूची से निकाल दिया जाय। उनकी रक्षा और देखभाल के सम्बन्ध में समुचित पग उठाने के लिए राज्यों से प्रार्थना की जायेगी। इस सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

धनबाद का खानों और व्यावहारिक भूतत्वशास्त्र सम्बन्धी भारतीय स्कूल

†*१०२. **श्री सूपकार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि धनबाद के खानों और व्यावहारिक भूतत्वशास्त्र सम्बन्धी भारतीय स्कूल में कर्मचारियों और सामान की कमी को दूर करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं, विशेषतः व्यावहारिक भू-भौतकी और पेट्रोलियम प्रोद्योगिकी की शाखाओं में?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

धनबाद के खानों और व्यावहारिक भूतत्वशास्त्र सम्बन्धी भारतीय स्कूल में कर्मचारियों और सामान की कमी को दूर करने के लिए निम्न कार्यवाही की जा रही है :—

(१) पेट्रोलियम प्रोद्योगिकी विभाग में एक सीनियर लेक्चरार (वरिष्ठ अध्यापक) के रूप में एक तेल शोधन प्रक्रिया विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है।

(२) थोड़े समयों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दो अधिकारियों की सेवायें प्राप्त कर ली गयी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(३) पेट्रोलियम भूतत्वशास्त्र और खुदाई के विषयों पर लेक्चर देने के लिए आसाम आयल कम्पनी के एक अधिकारी की सेवायें प्राप्त करली गयी हैं।

(४) कोयला, तथा धातु निकालने वाले विभागों की कर्मचारियों सम्बन्धी कमी को दूर करने के लिए थोड़े-थोड़े समय के लिए शिक्षक और प्रशिक्षक नियुक्त किये गये हैं।

(५) १ जनवरी, १९६० को एक अंग्रेज विशेषज्ञ के आ जाने की भी आशा है। पेट्रोलिय प्रौद्योगिकी के लिए कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उनकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। आशा है कि जनवरी १९६० में वह आ जायेंगे। आशा है कि इसी कार्यक्रम के अधीन धातु खनन सम्बन्धी एक अंग्रेज विशेषज्ञ भी शीघ्र ही काम संभाल लेंगे।

(६) १३ शिक्षकों के पदों को भरने का काम संघ लोक सेवा आयोग के सपुर्द कर दिया गया है।

(७) ३·३० लाख रुपये की विविध सामग्री खरीदने के भी आर्डर दे दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त १·९३ लाख की सामग्री विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्राप्त हो रही है।

टैगोर शताब्दी समारोह

†*१०३. **श्री राधा रमण:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार से देश और विदेश में आगामी वर्ष में टैगोर शताब्दी समारोह मनाने की तय्यारिया पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो विस्तार से यह कार्यक्रम क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने इस दिशा में दिल्ली अथवा कलकत्ता में कोई बैठकें बुलाई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). १९६१ में होने वाले शताब्दी समारोह के कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न मदों का निर्माण विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। मुख्य काम टैगोर की रचनाओं का प्रकाशन, राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाओं का निर्माण, प्रदर्शनियों का संगठन, नाटक दिखाने का आयोजन तथा देश और विदेश में जलसे करना है।

(ग) और (घ). जी हां, वर्तमान योजनाओं का पुनरीक्षण हो रहा है और आगामी कार्यक्रमों पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक टन वाले ट्रकों का निर्माण

†*१०४. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने प्रतिरक्षा संस्थानों में, विदेशी सहायता से अथवा उसके बिना, एक टन वाले ट्रकों के निर्माण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय विस्तार से क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

भारत में रहने वाले चीनी

†*१०५. { **श्री हेम बरूआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में रहने वाले चीनियों की संख्या के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में उनकी संख्या क्या है और कितने लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). ३१ अक्तूबर, १९५९ को विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने चीनी राष्ट्रीय देश में रजिस्टर थे, उनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]** प्रश्न के भाग (ख) के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड का मुख्यालय

†*१०६. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री ज० ब० सिं० विष्ट : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में फैसला कर लिया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड के मुख्यालय को दिल्ली से हटाने के बाद कहां कायम किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप में इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) रांची में।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम राइफल्स और मनीपुर पुलिस के कर्मचारियों में मुठभेड़

†*१०७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री बै० च० मलिक :
श्री ले० अचौ सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम राइफल्स और मनीपुर पुलिस के कर्मचारियों में जो मुठभेड़ हुई थी, उसकी जांच पूर्ण कर ली गयी है,

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) से (ग). चौथी आसाम राइफल्स बटेलियन के कमांडेंट को तबदील कर दिया गया है और आसाम के राज्यपाल के रोष से उन्हें परिचित करा दिया गया है। पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल को तुरन्त तबदील करने का निर्णय भी कार्यान्वित कर दिया गया है । जांच अदालत में सूबेदार मेजर और चौथी आसाम राइफल्स की टुकड़ी के दो जमादारों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सूबेदार मेजर को अनिवार्य रूप से पद मुक्त कर दिया जाय और दो जमादारों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जाय । इसके अतिरिक्त १५ आसाम राइफल्स के कर्मचारियों को, जो कि इस घटना के लिये जिम्मेदार हैं, तबदील करने को कहा गया है। पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में इन्सपैक्टर–जनरल पुलिस की रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है ।

शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†*१०८. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्च शिक्षा सलाहकार समिति के निर्माण के बाद किसी ऐसी अखिल भारतीय महत्व की शिक्षा संस्था को अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) :** जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पवन शक्ति

†**१०९. श्री भक्त दर्शन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन शक्ति विभाग के संचालक के पद पर इस बीच कोई नियुक्ति की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पवन शक्ति के उचित उपयोग के लिये उसने अब तक क्या प्रगति की है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून किबिर): (क) श्री एस० पी० वेंकटेश्वरन को पवन शक्ति विभाग का सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने ३० अक्तूबर १९५९ को कार्यभार संभाला है।

(ख) चूंकि यह अफसर हाल ही में काम पर आये हैं इसलिये सवाल नहीं उठता।

सस्ते रेडियो सेट

†*११०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स (पी०) लिमिटेड ने लोगों के प्रयोग के लिये सस्ते रेडियो बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उत्पादन कब आरम्भ किया जा रहा है ?

णप्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षायें

†*१११. **श्री वाजपेयी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दामानी :
श्री परुलकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने का निर्णय किया गया है और यह कि अब स्नातक परीक्षा में जिन के अंक निर्धारित संख्या से कम होंगे, उन्हें परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस मामले में परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनका इस बारे में क्या मत है; और

(घ) इस दिशा में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) द्वितीय-श्रेणी से निम्न श्रेणी में परीक्षा पास करने वाले स्नातकों के लिये अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगाने की एक प्रस्थापना का परीक्षण किया गया है।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का मत है कि जिन स्नातकों के अंक सब मिला कर ४५ प्रतिशत से कम हों उन्हें उपरोक्त परीक्षाओं में बैठने की अनुमति न दी जाये। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी राय प्रकट करने से पूर्व राज्य सरकारों और मंत्रिमंडलों के विचार जानने जरूरी समझे हैं।

(घ) फिलहाल इस प्रस्थापना को छोड़ दिया गया है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें

†*११२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि विदेशों में जहां जीवन बीमा निगम ने अपने प्रीमियम दरों को कम किया वहां जीवन बीमा व्यापार में काफी वृद्धि हुई; और

(ख) इसके अतिरिक्त वहां व्यापार बढ़ाने के लिये क्या क्या पग उठाये गये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) जी हां, परन्तु केवल प्रीमियम दरों की कमी के कारण ही व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख)

(१) बीमा कराने वालों के लिये मुख्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर के और अच्छे कर्मचारियों को नियुक्त करके अच्छी सेवा की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त का का विकेन्द्रीकरण करके स्थानीय अधिकारियों को काफी अधिकार दिये गये।

(२) बीमा एजेन्टों के कमीशन का पुनरीक्षण कर उसे स्थानीय तथा विदेशी बीमा संस्थाओं के स्तर पर लाया गया।

(३) वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों ने समय समय पर वहां जा कर वहां के हालात और स्थिति का स्थानीय तौर पर अध्ययन किया।

कृत्रिम अवयव केन्द्र[1], पूना का विस्तार

†*११३. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना के कृत्रिम अवयव केन्द्र, पूना, के प्रभारी कमांडैंट ने केन्द्र के विस्तार के सम्बन्ध में कुछ योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किस प्रकार का निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या केन्द्र के लिये अलग अस्पताल बनाने की भी प्रस्थापना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Artificial Limb Centre.

(ग) जी नहीं। यह एक प्रस्थापना है कि मामलों के नवीकरण और मरम्मत के लिये एक अलग विभाग बनाया जाय।

अपाहिज लोगों[1] की शिक्षा

†*११४. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि अपाहिज लोगों की शिक्षा परिषद् ने अपाहिजों के लिये अधिक सुविधायें प्राप्त करने के लिये एक आन्दोलन खड़ा करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सुविधायें के अतिरिक्त उन्हें और क्या सुविधायें दी जाने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). जी नहीं; परन्तु परिषद् के परामर्श से कुछ ऐसी योजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है जिस में कि अपाहिजों को कुछ अधिक सुविधायें देने की व्यवस्था है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं

†*११५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्व विद्यालय ने पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल जेनमीकरम् भुगतान (उन्मूलन) विधेयक, १९५७

†*११६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वें० प० नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अगस्त १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जेनमीकरम् भुगतान (उन्मूलन) विधेयक, १९५७ पर तब से कभी विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Handicapped.

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मामला अभी विचाराधीन है।

नाट्यशालाएं

*११७ { **श्री पाणिग्रही :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाट्यशालाओं सम्बन्धी योजनायें राज्य सरकारों से प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे विस्तार से क्या है ;

(ग) क्या उसका परीक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). जी हां, आंध्र-प्रदेश, बम्बई, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब की राज्य सरकारों से योजनायें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). जी हां, सम्बंद्ध सरकारों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विचार भेज दिये गये हैं।

(ङ) राज्य सरकारों से काम आरम्भ करने के लिये कह दिया गया है; साथ ही उनसे यह भी कहा गया है कि वे चालू वित्तीय वर्ष में इस पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्योरा भी भारत सरकार को प्रस्तुत करें।

दिल्ली में बिजली का श्मशान

*११८ { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बिजली का श्मशान बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): टाऊन प्लानिंग ऑर्गेनिजेशन ने बिजली के श्मशान प्रारम्भिक खाका बना लिया था। अब दिल्ली नगर निगम विस्तृत नक्शे तैयार कर रहा है।

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर

†*११९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर के हिसाब किताब की अनियमितताओं की जांच समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड

†*१२०. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री वारियर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड ने पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिये विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किस प्रकार के हैं; और

(ग) क्या इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड तथा वर्तमान कम्पनियों के बीच पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिये पारस्परिक सहयोग और समायोजन किया जा रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख) पैट्रोलियम उत्पादकों के वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार करने में इंडियन आयल कम्पनी को कुछ समय लगेगा। तथापि उनके कार्यक्रम में अन्य बातों के अतिरिक्त ये बातें भी शामिल रहेंगी ;

(१) गौहाटी तथा बरौनी में निर्मित सरकारी शोधनशालाओं के उत्पादों का वितरण।

(२) कमी वाले उत्पादों का आयात।

(३) सरकारी विभागों व उपक्रमों की आवश्यकतायें पूरी करना।

(ग) वर्तमान तेल कम्पनियों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान सम्बन्धी उभय पक्षों के लिये लाभदायक व्यवस्था मौजूद रहती है। इंडियन आयल कम्पनी को भी आशा है कि वह भी उनके साथ इसी प्रकार का सहयोग और समायोजन बनाये रखेगी।

मृत्यु दंड

†*१२१. **श्री रामेश्वर तांतिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ व १९५९ (सितम्बर, तक) विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को उक्त अवधि में फांसी पर लटकाया गया ;

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों से जो इस विषय से मुख्य रूप से सम्बन्धित हैं जानकारी एकत्र की जा रही है। उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

आयात लाइसेंस की अवधि का समाप्त होना

१३०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यापारियों के इस्पात के आयात-निर्यात के लाइसेंसों की अवधि ३१–१–५८ को अर्थात् उस तारीख को, जिससे इस्पात के आयात के लाइसेंसों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, समाप्त हो गई थी ;

(ख) क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें प्रतिबन्ध लगने के बाद भी इस्पात के आयात के लिये वाणिज्यिक आयात प्राधिकारी द्वारा फिर से नये लाइसेंस बना दिये गये, और

(ग) कितने मूल्य के तथा कितने टन इस्पात के लाइसेंस फिर से नये बना दिये गये और उन्हें फिर से नया बनाने के क्या कारण थे ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उन व्यापारियों की संख्या, जिनके लाइसेंस ३१–१–५८ को समाप्त हो गये, १०६ है।

(ख) ऐसा कोई भी व्यापारिक लाइसेंस, जिसकी अवधि ३१–१–५८ को समाप्त हो गई थी, फिर से नया नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में पौलीटैक्निक संस्थायें

†१३१. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने १९५९–६० के दौरान तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवशेष अवधि में नई पोलिटेक्नीकल संस्थायें खोलने के लिये कोई योजना भेजी है ;

(ख) क्या वह योजना स्वीकृत हो गई है; और

(ग) उक्त संस्थायें कहां कहां स्थित होंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मौ० दास) :** (क) बम्बई सरकार ने राज्य की पंच वर्षीय योजना के अधीन एक पोलीटेक्नीक संस्था खोलने, और केन्द्रीय योजना के अधीन दो पालीटेक्नीक संस्थायें खोलने की योजना भेजी है ।

(ख) इन योजनाओं पर अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा संस्था विचार कर रही है ।

(ग) राज्य योजना के अधीन पालीटेक्नीक संस्था दोहद में स्थापित होगी । केन्द्रीय सरकार के अधीन खुलने वाली टेक्नीकल संस्थाओं की स्थिति पर क्षेत्रीय समिति व बम्बई सरकार विचार करेगी ।

बंबई में खुदाई

†१३२. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में १९५९–६० के दौरान कोई खुदाई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) और (ख). १९५९–६० में अहमदाबाद के लोथल स्थान पर खुदाई होगी तथापि खुदाई का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

औरंगाबाद के संरक्षित स्मारक

†१३३. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० के दौरान (बम्बई राज्य) के औरंगाबाद जिले में प्रत्येक रक्षित स्मारक के संधारण व विशेष मरम्मत के लिये कुल कितनी राशि दी जायेगी ; और

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिये १९५८–५९ को जो राशि दी गई थी वह पूरी तरह खर्च की जा चुकी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :**

(क)

	रुपये
(१) अजन्ता गुफा, औरंगाबाद	३५७४०
(२) एलौरा गुफा, औरंगाबाद	४२९५०
(३) बीबी का मकबरा ,,	२६३९०
(४) औरंगाबाद गुफायें ,,	५५००
(५) दौलताबाद किला ,	६४५३
(६) पीतलखोरा गुफायें ,,	४१६१
(७) मलिक अम्बर की कब्र खुलराबाद	२०३२
(८) औरंगजेब की कब्र, खुलराबाद	१५०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दो तिहाई धन राशि का उपयोग कर लिया गया है ।

बम्बई के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†**१३४. श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने राज्य के स्थानीय निकायों के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार करने की योजना भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल की है ?

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने बम्बई की सरकार को इस कार्य के लिये कितना रुपया दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) राज्य योजनाओं में स्कूलों की व्यवस्था के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है। अतः अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी जा रही है ।

बम्बई के सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक

†**१३५. श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सम्बद्ध कालेजों को, अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार करने के लिय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन कालेजों को कितनी राशि प्रदान की जा चुकी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) २ नवम्बर १९५९ तक २,३१,००० रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है ।

पाकिस्तानी हरकारों की गिरफ्तारी

†१३६. **श्री त० म० देव :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी हरकारों के संबंध में सरकार की की गई जांच समाप्त हो गई है ;

(ख) जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) से (ग). हमने जम्मू और काश्मीर की सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी है जो प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एम० ई० एस० द्वारा निर्मित भवन

†१३७. **श्री मुरारका :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नौसेना केन्द्र में सेना इंजीनियरिंग सेवा द्वारा १६५४–५७ में बनाये गये ६ युनिट १६५५ में चूने लगे और उनकी मरम्मत में ७०,६५६ रु० व्यय किये गये ; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाया गया कि इसकी जिम्मेदारी किस पर थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां । ७०,६५६ रु० का अधिकांश भाग, कुछ परिवर्तन करने में व्यय किया गया जिन्हें करना आवश्यक समझा गया, इसका केवल थोड़ा सा अंश मरम्मत में व्यय किया गया ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

इमारती लकड़ी कि बिक्री

†१३८. **श्री मुरारका :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा क ेंगे कि :

(क) क्या १० अक्तूबर १६५२ को २,५०० घन फुट इमारती लकड़ी का नीलाम इस कारण पूरा नहीं हो सका कि उसकी राशि कम थी ;

(ख) क्या मात्रा में कमी के संबंध में गैरीसन इंजीनियर ने कोई जांच की है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) १० अक्तूबर १६५२ को एक नीलाम हुआ था तथापि वह कार्य पूरा नहीं हो सका । उसके कारणों की जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है ।

बिहार में भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†१३६. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा क ेंगे कि बिहार में राज्य बैंक की अब तक कितनी शाखायें खुली हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** भारत के राज्य बैंक ने अपने प्रारम्भिक काल से अर्थात १ जुलाई १६५५ से ३१ अक्तूबर १६५६ तक २६ शाखायें खोली हैं ।

जम्मू और काश्मीर में भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†१४०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में भारत के राज्य बैंक की कुल कितनी शाखायें खुली हैं ; और

(ख) क्या सरकार १६५६–६० में कुछ नई शाखायें खोलने का विचार कर रही है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) भारत के राज्य बैंक की जम्मू और श्रीनगर में एक-एक शाखा है गुलमर्ग में भी एक वेतन कार्यालय है जो वर्ष के कुछ महीने में खुला रहता है। ये कार्यालय १–७–५५ को जब राज्य बैंक बना था तो इम्पीरियल बैंक से ले लिये गये थे।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य बैंक के शाखा विस्तार कार्य के अन्तर्गत नहीं आता है इस क्षेत्र में जम्मू तथा काश्मीर बैंक है। इसीलिये १९५९–६० में राज्य बैंक की नयी शाखाओं को खोलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में अवैध टकसाल

†**१४१. श्री राम जी वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने अलीपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में सराय पीपलठाला क्षेत्र में एक अवैध टकसाल का पता लगाया है ; और

(ख) इस संबंध में और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) दो।

औषधोपयोगी जड़ी बूटियां

†**१४२. श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण के डा० सुब्रह्मनयम तथा भारत सरकार के मुख्य वनास्पति विशेषज्ञ श्री ए० एन० हेनरी को मध्य प्रदेश में बत्सर जिले के बनों के हाल के दौरों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां प्राप्त हुई हैं जो कि बहुमूल्य औषधियों के निर्माण में प्रयोगशालायों में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इन जडी बूटियों के उपयोग तथा उनसे होने वाले लाभों का निपटारा करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण दक्षिण वृत के प्रादेशिक वनस्पति शास्त्री डा० के० सुब्रमण्यम, तथा उसी विभाग के बूटी सहायक श्री ए० हेनरी, ने खोज करने के नियमित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के बत्सर राज्यों के बनों का दौरा कर कुछ पौदे एकत्र किये। औषधि उपयोग के कुछ मान्य पौदों को भी एकत्र किया। तथापि कोई भी पौदा विशेष लाभ या मूल्य का ज्ञात नहीं हुआ।

पंजाब में तम्बाकू की खेती

†**१४३. श्री दी० च० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ के बीच पंजाब राज्य में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती की गई ; और

(ख) और उसमें से कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) वर्ष १९५८–५९ के दौरान पंजाब में ५०१६ एकड़ में तम्बाकू की खेती की गई।

(ख) तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की योजना के अनुसार, बिना शुल्क दिये हुये ५ वर्ष तक तम्बाकू रखा जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में गठ्ठरों में तम्बाकू भेजा जा सकता है, तथा शुल्क का संग्रह उस लायसेंसदार से किया जाता है जो उपयोग करने के निमित्त उसे खरीदता है, इसलिये १९५८–५९ की फसल से प्राप्त राजस्व की ठीक राशि बताना कठिन है। तथापि १९५८–५९ में पंजाब सरकार को राज्य में उपयोग किये जाने वाले तम्बाकू के उत्पादन शुल्क से ५६,६४,९३३.०० रु० की आय हुई।

एम० ई० एस० में ठेके की पद्धति

†**१४४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ई० एस० में ठेका प्रणाली को समाप्त करने या उसे कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) एम० ई० एस० में १९५९–६० कितनी राशि का काम ठेके प्रणाली द्वारा तथा कितना काम विभागीय श्रमिकों द्वारा किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे १९५९–६० में के वित्तीय वर्ष के अंत तक लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

व्यय कर

†**१४५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यय कर अधिनियम के अन्तर्गत १९५९–६० के दौरान कुल कितने करदाताओं को पंजीयित किया गया ; और

(ख) उस अवधि में कितना कर वसूल किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) ३०–९–१९५९ तक ७,७६७ करदताताओं को पंजीयित किया गया।

(ख) १–४–१९५९ से ३०–९–१९५९ तक २०.१२ लाख रुपये की वसूली हुई।

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

†**१४६. श्री दी०चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ के दौरान कितने भारतीय अधिकारी भारत से बाहर गये ;

(ख) किन प्रयोजनों के लिये बाहर गये ;

(ग) उनके दौरों में कुल कितना व्यय हुआ ; और

(घ) कुल कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई):** (क) से (घ). संबंधित विभागों मंत्रालयों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धन-कर की वसूली

†**१४७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में अब तक कितना धन-कर वसूल किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी** देसाई): १९५९–६० में ३०–९–१९५९ तक वसूल किये गये धन-कर की राशि १,५८,१३,९०० रुपये है।

उड़ीसा में अध्यापक

†**१४८. श्री पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९–६० में अब तक उड़ीसा में कितने अध्यापक तथा निरीक्षण पदाधिकारी नियुक्त किये गये ;

(ख) इसी अवधि में महिला अध्यापकों के कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ;

(ग) इस योजना के अधीन १९५६–५७, १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में नियुक्ति के लिये उड़ीसा राज्य को कितने अध्यापक दिये गये ; और

(घ) १९५६–५७ से १९५८–५९ तक ऐसे कितने अध्यापक वास्तव में नियुक्त किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). अभी तक राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) क्योंकि शिक्षित बेकारों को सहायता तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में लागू नहीं थी इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। १९५८–५९ में उड़ीसा सरकार को १००० अध्यापक दिये गये थे।

(घ) १९५६ से १९५८ तक के वर्षों के लिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। १९५८–५९ के सम्बन्ध में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में लौह अयस्क का खनन

†**१४९. श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञ समिति ने कटक जिले के किन भागों को राज्य द्वारा खनन के लिये रक्षित रखने की सिफारिश की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था ;

(ग) उड़ीसा में लौह अयस्क वाला कितने एकड़ ऐसा क्षेत्र है जिसको समिति ने राज्य द्वारा खनन के लिये रक्षित रखने की सिफारिश की है ; और

(घ) इन क्षेत्रों में कितने लौह अयस्क के निक्षेप होने का अनुमान है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) उड़ीसा की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि कटक जिले के सभी बेकार पड़े क्षेत्रों को तब तक रक्षित रखना चाहिये जब तक उसकी पूरी ब्योरेवार जांच न कर ली जाये ।

(ख) समिति ने अपना प्रतिवेदन ११ अप्रैल, १९५९ को प्रस्तुत किया था ।

(ग) कटक तथा मयूरभंज जिलों के लौह अयस्क वाले बेकार पड़े हुये क्षेत्रों के अतिरिक्त क्योंझर तथा सुन्दरगढ़ ज़िलों के तीन खण्डों में १६५·७६ वर्गमील क्षेत्र को रक्षित रखने की सिफारिश की गई है ।

(घ) क्योंझर तथा सुन्दरगढ़ के तीन रक्षित खण्डों में कुल लौह अयस्क निक्षेपों में ५०९० लाख टन का प्राक्कलन किया गया है । मयूरभंज तथा कटक ज़िलों में सीमा निर्णयन तथा निक्षेपों की जांच और 'रिज़र्व्स' का निर्धारण होने तक, इन ज़िलों में लौह अयस्क के 'रिज़र्व्स' का प्राक्कलन नहीं किया जा सकता ।

उड़ीसा के संरक्षित स्मारक

†**१५०. श्री पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर के प्रबन्ध तथा मरम्मत के लिये कुछ धन का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा के अन्य संरक्षित स्मारकों की मरम्मत तथा प्रबन्ध के लिये भी कुछ धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख) जी हां ।

(ग) (१) कोणार्क मन्दिर––१८,०७० रुपये ।

(२) उड़ीसा के अन्य स्मारक––५४,२६७ रुपये ।

उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं में खेल के मैदान

†**१५१. श्री पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उन शिक्षा संस्थाओं के नाम भेजे हैं जिनमें केन्द्रीय सहायता के कारण खेल के मैदान तथा खेल की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १९५९–६० में उड़ीसा में ऐसी संस्थाओं के लिये कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). अब यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारों को खेल के मैदान बनाने के लिये शिक्षा संस्थाओं में वितरण हेतु एक इकट्ठा राशि दे दी जाये । उड़ीसा राज्य सरकार को इस कार्य के लिये २४,००० रुपये दिया गया है ।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

†**१५२. श्री पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ तथा १९५९–६० में अब तक राज्यवार विदेशों में अध्ययन के लिये जाने वाले कितने विद्यार्थियों को भारत सरकार ने छात्रवृतियां दी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य	१९५८–५९	१९५९–६०	जोड़
आसाम (नागा पहाड़ियां)	—	१	१
आन्ध्र प्रदेश	१	—	१
उत्तर प्रदेश	१	—	१
पश्चिम बंगाल	१	—	१
कुल जोड़	३	१	४

श्रम तथा समाज सेवा शिविर

†**१५३. { श्री पाणिग्रही :**
श्री पांगरकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९५९ में अब तक विद्यार्थियों तथा युवकों के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता से (राज्यवार) कितने श्रम तथा समाज सेवा शिविर खोले गये ;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये कितना व्यय किया गया ; और

(ग) इन श्रम तथा समाज सेवा शिविरों को किस संगठन ने चलाया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४२]**

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा राज्य में कर

†**१५४. श्री पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में उड़ीसा राज्य में कर तथा अन्य राजस्वों के द्वारा भारत सरकार ने कितने धन की वसूली की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

१९५७–५८	**१९५८–५९**
३,०३,९५,००० रुपये	३,७३,४९,००० रुपये

इस राशि में 'असैनिक प्रशासन', मुद्रा, टकसाल, असैनिक कार्यों आदि के विभिन्न शीर्षों का धन नहीं शामिल है क्योंकि यह आय किसी राजस्व के कारण नहीं हुई अपितु सेवाओं तथा संभरणों के कारण हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

†**१५५. श्री पाणिग्रही** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अब तक कितने विनियोजन किये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अन्तर्राष्ट्रीय वित निगम ने हैदराबाद की रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी में १५ लाख डालरों का तथा पूना की किरलोस्कर आयल इंजन लिमिटेड में ८.५ लाख डालरों का विनियोजन करना स्वीकार कर लिया है ।

उड़ीसा खनन निगम

†**१५६. श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा खनन निगम ने उड़ीसा के क्योंझर, ढेंकानाल, कालाहांडी, सुरेन्द्रगढ़ तथा मयूरभंज ज़िलों के किन क्षेत्रों में खोज की है ;

(ख) उड़ीसा खान निगम ने किन विशेष क्षेत्रों को खोज के लिये चुना है ;

(ग) उस क्षेत्र में किस प्रकार के अयस्क हैं ;

(घ) क्या उड़ीसा खान निगम ने आरम्भ से ही सुकिन्डा के टोमका खान क्षेत्र में पट्टा लेने का आवेदन पत्र भेजा है ; और

(ङ) क्या उनका वह आवेदनपत्र भारत सरकार के विचारार्थ भेजा गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जानकारी बताने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ग) सभी निक्षेपों में बेचे जाने योग्य लोहे अथवा मैंगनीज़ के अयस्क हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ की जनगणना

†१५७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम राज :
श्री हेम बरूआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६१ की जनगणना की अनुसूची तथा कार्यक्रमों पर विचार कर लिया गया है और उनको अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) अगली जनगणना १ मार्च, १९६१ से लागू हो जायेगी। जनगणना १० फरवरी से ३ मार्च १९५९ तक अर्थात २२ दिन तक होगी। पहले १९ दिन में जनगणना करने वाला प्रत्येक घर के आदमियों की गणना करेगा तथा अगले तीन दिनों में वह प्रत्येक घर में दुबारा जायेगा जिससे जो गणना उसने की है उसकी जांच कर सके और जन्म, मृत्यु अथवा अगणित व्यक्तियों के आंकड़े ठीक कर सकें।

१९६१ की जनगणना में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार के आँकड़े इकट्ठे किए जायेंगे। सामाजिक आंकड़े लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, जन्मस्थान, प्रव्रजन आदि के बारे में होंगे। आर्थिक आंकड़े उद्योगों में किए गए काम आदि के बारे में होंगे तथा सांस्कृतिक आंकड़े राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति, साक्षरता तथा शिक्षा, मातृभाषा तथा गौण भाषा के बारे में होंगे। आगामी जनगणना की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक घर की खेती तथा उद्योग के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जायेंगे।

परीक्षा पद्धति में सुधार

†१५८. श्री रामकृष्ण :
श्री म० ला० द्विवेदी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों की परीक्षा पद्धति में सुधार करने के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है :

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महेन्द्र गढ़ में खनिज पदार्थ

†**१५९. श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिल्लौरी पत्थर की खोज करने के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है क्योंकि, महेन्द्रगढ़ जिले में पर्याप्त मात्रा में तथा वाणिज्यिक कार्य के लिए बिल्लौरी पत्थर पाया गया है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** राज्य सरकार का विचार बिल्लौरी पत्थर वाले क्षेत्र को गैर-सरकारी व्यक्तियों को देने की घोषणा करने का विचार कर रही है।

छावनियों में सेवा सहकारी समितियां

†१६०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छावनी क्षेत्र में सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति है। ८-९-१९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर में दिया गया प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस्पात के उत्पादन की लागत

†**१६१. श्री रामकृष्ण गुप्त** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीनों इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन की लागत के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का केन्द्रीय पूल

†१६२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के केन्द्रीय पूल की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** इंजीनियरों के केन्द्रीय पूल के गठन की योजना पर सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है।

सेना आवास परियोजना

†१६३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
डा० रामसुभग सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू क्षेत्र में ७५ लाख रुपये की सेना आवास परियोजना को पूरा करने क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसके ब्यौरे क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य का अभिप्राय जम्मू क्षेत्र के कालूचक में सेनाओं के लिए झोपड़ियां बनाने की व्यवस्था करने की परियोजना की ओर है। इसको १२ अगस्त, १९५९ को ७४.८३ लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर स्वीकार कर लिया गया था। परियोजना पर अक्तूबर १९५९ में काम आरंभ किया गया था ।

बाल संग्रहालय

†१६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में बाल संग्रहालय की योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा राज्य में कुएं

†१६५. **श्री बैं० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों को जल सुविधायें देने के लिए १९५६–५७ से १९५९–६० के वर्षों में केन्द्र द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के अधीन कितने कुएं स्वीकार किए गए हैं; और

(ख) इसमें कितनी धनराशि व्यय होगी?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). उड़ीसा में अनुसूचित जातियों को जल सुविधायें देने के लिए १९५६–५७ से १९५९–६० के वर्षों में केन्द्र द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के अधीन २.४० लाख रुपये की लागत से १५९ कुए बनाना स्वीकार किया गया है। १९५९–६० में ५३ कुएं बनाने के लिए ०.८० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक

१६६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) ३१–१०–१९५९ को स्थिति इस प्रकार थी:—

(१) पार्क के चारों ओर तार का बेड़ा, कच्चे पानी देने का मेन और बांटने की लाइन और सम्प कम पम्प हाउस पूरे हो गये हैं।

(२) बगीचा का काम ७५ प्रतिशत पूरा हो गया है।

(३) पानी जमा करने के टेंक, नहरों, नहरों के बाजू की दीवालों, पार्क करने की जगहों और आने जाने की सड़क का काम ३० प्रतिशत पूरा हो गया है।

(ख) ३१–३–१९६० तक काम खत्म होने की उम्मीद है।

(ग) अब तक रु० ७,२२,३०,००० की रकम मंजूर की गई है।

सरकारी कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता

†१६७ **श्री राम गरीब :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम के सामान्य घंटे समाप्त हो जाने के बाद अतिरिक्त काम करने के घंटों के लिये सरकारी कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता (ओवर टाइम एलाउन्स) दिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को जो काम के सामान्य घंटे आरम्भ होने से पहले सवेरे अधिक काम करने के लिये बुलाये जाते हैं, इसी प्रकार की रियायत दे रखी है और देने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के मामलों में ऐसी रियायत न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को सवेरे तथा शाम दोनों समय अधिक काम करना पड़ता हो, क्या कोई रियायत दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां । परन्तु यह भत्ता अराजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जो सचिवालय तथा भारत सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों, और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालयों, भारत के उच्च न्यायालय, तथा निर्वाचन आयोग में काम करते हों, को दिया जाता है ।

(ख) जिन व्यक्तियों को सवेरे अतिरिक्त काम करने के लिये बुलाया जाता है, सरकार ने यह रियायत उनके लिये भी स्वीकार की है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) देर तक काम करने का भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है :—

	अराजपत्रित कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
	रुपये	रुपये
९ घंटे के लगातार काम के अतिरिक्त . .	१	०.७५
११ घंटे के लगातार काम के अतिरिक्त . .	२	१
१३ घंटे के लगातार काम के अतिरिक्त . .	३	१.२५

मतदाताओं के फोटो

१६८. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पाणि ग्राही :

क्या **विधि** मंत्री २७ अगस्त १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दक्षिण पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के फोटो लोक-सभा के अगामी उपचुनाव के सिलसिले में ले लिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक फोटो ले लिये जायेंगे ; और

(ग) यह उप-चुनाव कब होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं। कलकत्ता में दक्षिण पश्चिमी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लगभग एक तिहाई मतदाताओं के फोटो अभी तक लिये गये हैं।

(ख) मतदाताओं के फोटो लेने तथा उन्हें पहिचानपत्र देने का कार्य जनवरी १९६० के मध्य तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

(ग) उप-चुनाव इसके बाद फरवरी या मार्च १९६० में होगा।

सैनिकों की सेवा मुक्ति

†**१६९. श्री वाजपेयी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२४ आई० एन० एफ० बी० एन० टी० ए० नई दिल्ली के तीन सौ से अधिक कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को कमांडिंग पदाधिकारी के विरुद्ध तंग करने तथा उसके बुरे बर्ताव की शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) अगर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

१२४ आई० एन० एफ० बी० एन० टी० ए० १९५६ में बनी थी। इसके बनने के बाद से ३२० व्यक्तियों को इस एकक से अलग किया गया है ? इनमें से २६९ कर्मचारियों को करूणाजनक स्थिति के कारण उनकी प्रार्थना पर अलग किया गया है। अन्य कर्मचारियों को अलग करने के कारण नीचे दिये हैं :—

(१)	अप्राप्य होने के कारण अलग किये गये कर्मचारी . .	३५
(२)	वार्षिक प्रशिक्षण में भाग न लेने के कारण अलग किये गये कर्मचारी	४
(३)	कुशल सैनिक बनने की संभावना न होने के कारण अलग किये गये कर्मचारी	१२
	योग . .	५१

२. बुरे बर्ताव तथा तंग करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में जांच हो रही है।

हिमाचल प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

१७०. श्री पद्म देव : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर अब तक पैट्रोल की खोज के लिये सर्वेक्षण किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन स्थानों में से किन किन स्थानों पर खोज का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). मंडी और विलासपुर के जिलों में जोगिन्द्र नगर से लेकर मंडी में से होता हुआ पश्चिम में डेहर और सारकाघाट तक तीसरा भूगर्भीय[1] मान चित्रण किया गया है। सिरमूर जिले में भी भूगर्भीय मान चित्रण किया गया। हिमाचल प्रदेश में भूगर्भीय मान चित्रण जारी रहेंगे। अभी तक किसी स्थान पर व्यधन[2] का काम आरम्भ नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश में गन्धक की खोज

१७१. श्री पद्म देव : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर अब तक गन्धक की खोज के लिये सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) इन स्थानों में से किन-किन स्थानों पर खोज का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : (क) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने (Pyrites) भूभंडारों का अनुसंधान किया है :—

(१) रामपुर के पास नगली गढ़ में, उरनी के पास चारगांव में, और बशहर में सिसाओ तथा पुरवनी में।

(२) हिमाचल प्रदेश की सिरमूर रियासत में सायासू और डियनडोन में।

(३) मूलराज नामक खानों में, क्लौंथल ज़िला शिमला की जो पूर्व में कसुंपटी और पश्चिम में तारादेवी रेलवे स्टेशन के बीच और शिमला नगर के दक्षिण में घाटी में पाई जाती हैं। इन खानों में रेहाना खान, बढ़ई खान और क्यारी खान शामिल हैं।

(४) शिमला की पहाड़ियों में बन्दईघाट, और क्यारी (शामरी) नाला में, रेहाना के उत्तर में, और छोटा शिमला के दक्षिण में;

(५) जिला महासू में मतियाना स्थान पर।

(६) जिला महासू की सियोनी तहसील के जियोरा नामक स्थान के समीप तथा पानी के गर्म स्रोतों में।

(७) जिला चम्बा की चुआरी तहसील के घाटसनी नामक गांव के दो फरलांग दूरी पर एक छोटी नदी में।

(ख) इन किये गये अनुसंधानों से कोई मूल्यवान खनिज प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस प्रदेश में कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sedimentary.
[2]Drilling.

संस्कृति आयोक का प्रतिवेदन

**१७२. { श्री पद्म देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४९ के उत्तर के संबंध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों की विशेष बातें क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के सामने कौन कौन सी सिफारिशें रखी गयीं थीं और उनके संबंध में बोर्ड ने क्या परामर्श दिया ; और

(ग) संस्कृत आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में और क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) : (क) और (ख). संस्कृत कमीशन की सिफारिशों की मुख्य बातों, राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों की टिप्पणियों का एक सामान्य सारांश और केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशों का विवरण साथ लगा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]** ।

टिप्पणियों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा बतायी गयी कुछ विशेष बातें भी इसमें दे दी गयी हैं ।

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद कमीशन की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय दिया जायेगा । मध्य प्रदेश राज्य सरकार और दिल्ली संघ क्षेत्र के उत्तरों की प्रतीक्षा है । सिफारिशों को अमल में लाने का प्रश्न उन पर अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद ही उठेगा ।

उत्तर प्रदेश में चूने का पत्थर

†**१७३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देहरादून मसूरी क्षेत्र में मिलने वाले चूने के पत्थर के निक्षेपों की मात्रा एवं उसकी गुणिता का मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तथा (ख). जी हां । एक ओर तो पहाड़ियों में सिसोली के निकट, जो कि देहरादून से ठीक पूर्व-उत्तर-पूर्व (ईषान कोंण) में लगभग ८ मील दूर है, और दूसरी ओर सामान्यत: उत्तर पश्चिम दिशा में सहस्त्रधारा, जुड, केरवान, ओक ग्रोव, झारपानी, भट्टा, हाथीपान ठीक मसूरी के दक्षिण तक में ४०३,७५९,७०० टन चूने का पत्थर १०० फुट की गहराई तक पाया जाता है ।

---

†मल अंग्रेजी में

उपरोक्त निक्षेप की गुणिता निम्नलिखित रूप में विभाजित है :

	१०० फुट की गहराई तक मिलने वाला चूना टनों में
(क) मिलने वाले चूने के पत्थर की औसत गुणिता (स्लेट जैसे चूने के पत्थर को छोड़ कर) सी० ए० ओ० लगभग—४५.७७ प्रतिशत	२५४,४९७,१००
(ख) सी० ए० ओ० के साथ चूने का पत्थर—५० से ५५ प्रतिशत	१४२,७८०,
(ग) सी० ए० ओ० सहित चूने का पत्थर ५५ प्रतिशत से अधिक. . . .	६,४८१,८००

सर्वेक्षण के समय जो आंकड़े प्राप्त हुये थे उन्हीं के आधार पर गुणिता के लिये आंकड़े तैयार किये गये हैं अतः इनको अस्थायी समझना चाहिये। विस्तृत जानकारी भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के निम्नलिखित प्रकाशन में उपलब्ध है जो पुस्तकालय में प्राप्य है:—

"बुलेटिन ऑफ दी जियोलोजीकल सर्वे ऑफ इंडिया सिरीज ए— इकोनोमिक जियोलोजी—१६– हाइ ग्रेड लाइमस्टोन डिपोजिट्स, देहरादून-मसूरी एरिया, उत्तर प्रदेश।"

जम्मू और काश्मीर के लिये आई० ए० एस० कोटि

†१७४. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये १९५९ में अब तक नियमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग ने कितने आई० ए० एस० पदाधिकारियों की भर्ती की है; और

(ख) इस राज्य की स्थापना के समय इस कोटि के कितने पदाधिकारी वहां काम करते थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) कोई नहीं।

(ख) १६।

दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†१७५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतनक्रम क्या दिया गया है; और

(ख) उच्चतर क्रम क्या है और किस योग्यता के आधार पर दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के (उच्चस्तरीय तथा मध्य स्तरीय विभागों) अध्यापकों को निर्धारित विभिन्न वेतन क्रम निम्नलिखित हैं :

	पद का वर्ग	वेतन क्रम
१.	मुख्याध्यापक	रु० ३५०–२५–५००—दक्षता अवरोध—३०–५९०
२.	अंग्रेजी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगोल, कृषि, वाणिज्य, प्राच्य तथा भारतीय भाषायें, और मनोविज्ञान तथा हाईजीन के अवर स्नातक अध्यापक	रु० २००–१०—२५०—१५—३२५—द० अ० १५—४०० (इस वेतन क्रम का उद्देश्य केवल उन्हीं अध्यापकों से है जो ११वीं कक्षा को पढ़ाते हैं)
३.	अंग्रेजी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन भूगोल, कृषि, वाणिज्य, प्राच्य तथा भारतीय भाषायें मनोविज्ञान तथा हाईजीन, ड्राइंग तथा डोमेस्टिक साइंस के प्रशिक्षित स्नातक डिमोन्स्ट्रेटर, शरीर विज्ञान के प्रशिक्षक	रु० १२०—८—२०० द० अ० १०–३००

उच्चतम वेतन क्रम के लिये निर्धारित योग्यता जो कि प्रधानाध्यापक के लिये आवश्यक है निम्नलिखित है :

१. मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय का अवर स्नातक अथवा समकक्षी आनर्स डिग्री ;

२. शैक्षिक उपाधि अथवा उपाधिपत्र ;

३. किसी इंटरमिजिएट कालिज का लगभग तीन वर्ष का प्रशासकीय अनुभव अथवा किसी हाई स्कूल का लगभग ५ वर्ष का प्रशासकीय अनुभव ;

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त हाई स्कूल में ८ वर्ष तक पढ़ाने का शैक्षिक अनुभव

अथवा

लगभग ३ वर्ष तक का शैक्षिक प्रशासन अनुभव जिसमें २ वर्ष तक किसी हाई अथवा उच्च माध्यमिक स्कूल अथवा टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षण संस्था) में पढ़ाने का अनुभव भी सम्मिलित हो।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूल अथवा किसी टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में लगभग ५ वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहरे गूंगों की शिक्षण संस्थाओं को सहायता

†१७६. **श्री वोरियार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राज्यों में बहरे गूंगों की शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने की कोई योजना है ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की कोई सहायता केरल राज्य में किन्हीं ऐसी संस्थाओं को दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ;

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिचूर में इंजीनियरिंग कालिज

†१७७. **श्री वोरियार :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री कोडियान :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार की ओर से त्रिचूर में इंजीनियरिंग कालिज के लिये शीघ्र ही समान भेजने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिची में लिगनाइट निक्षेप

†१७८. **श्री ना० रा० मुनिस्वामी :**
श्री क० स० रामास्वामी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में त्रिची जिले के ज्यारकोंडम नामक स्थान पर जल–कूप लगाने के लिये पृथ्वीगत पानी की संभावना का मूल्यांकन करने के लिये बोरिंग करते समय वहां प्राप्त काले पदार्थ की प्राप्ति के बारे में जिसे लिगनाइट बताया जाता है, सरकार को कोई सूचना दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पदार्थ की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि ज्वारकोडंचश्रोत्वापुरम् में पीने के पानी के कुएं के लिये किये गये गढ़े में लिगनाइट की पर्तें पाई गई हैं जो २९९ फुट की गहराई पर मिली थीं और यह ३१५ फुट ६ इंच की गहराई तक मिलती हैं।

(ख) त्रिचूरपल्ली के कलक्टर को राज्य सरकार ने कहा है कि उस गढ़े से मिलने वाले उस नमूने को विश्लेषण के लिये नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन को भेज दें।

मद्रास में लिगनाइट निक्षेप

†१७९. { **श्रीमती पार्वती कृष्णनन :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वोरियार : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में कावेरी नदी तथा पाल्क स्ट्रेट के बीच किये गये ग्रेवटी तथा मैगनेट सर्वेक्षण के दौरान में निश्चित रूप से लिगनाइट निक्षेप पाये जाने की सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितने क्षेत्र में मिलता है और कितनी प्रतिशत मात्रा में ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं। अब तक हुये ग्रेवटी तथा मैगनेट सर्वेक्षण से ग्रेवटी 'नियम' के रूप में बहुत सी 'अनेमोलीज़' का पता चला है। इन क्षेत्रों में लिगनाइट निक्षेपों की संभावना का पता निश्चित करने के लिये पास-पास के स्थानों पर जांच की जायेगी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

ताड़ी दुकान के गैर-सरकारी ठेकदारों पर बकाया राशि

†१८०. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में वर्ष १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ के दौरान में गैर-सरकारी ठेकेदारों पर ताड़ी की दुकानों की नीलामी की कुछ बकाया शेष थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह अवशेष राशि मिल गई है; और

(ग) केरल राज्य में इन गैर-सरकारी ठेकेदारों से अब तक कुल कितना रुपया लेना शेष है ;

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां, बकाया राशि निम्न है :—

	रुपये
१९५४–५५	२,४६,१५८.५४
१९५५–५६	३४,९८३.१२
१९५६–५७	४९,४२२.२१

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) १९५८-५९ के अंत तक, ताड़ी, एरेक, अफीम, गांजा की दुकानों के ठेके की बकाया राशि के रूप में ३१,५३,५६३.१८ रुपये लेने हैं। ताड़ी की दुकानों से ठेके की बाकी रकम के रूप में वर्ष १९५४-५५ से १९५८-५९ तक ७,३४,९३७.०४ रुपये लेने हैं। ताड़ी की दुकानों से ठेके की बाकी रकम के रूप में वर्ष १९५४-५५ से पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं है।

केरल में राज्य परिवहन के कर्मचारी

†१८१. { **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
　　　　श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में राज्य परिवहन कर्मचारियों को वर्ष १९५८-५९ के लिये कोई लाभांश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई ; और

(ग) पहले वर्ष कितनी राशि दी गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां।

(ख) ६,५७,४३० रुपये ।

(ग) ६,७३,५६१ रुपये ।

हिन्दी पुस्तकों का उपहार

†१८२. **श्री कुम्भार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय में कोई ऐसा प्रस्ताव था कि पुस्तक विक्रेताओं तथा प्रकाशकों से सभी उपयुक्त हिन्दी पुस्तक लेकर अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों तथा कालिजों को उपहार स्वरूप दे दी जायें जहां कि हिन्दी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक रूप से पढ़ाई जाती है ;

(ख) यदि हां तो उन पुस्तकों के नाम उनकी संख्या तथा प्रत्येक पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक से कुल कितनी राशि की पुस्तकें ली गईं।

(ग) राज्यों को उपहार में दी जाने वाली पुस्तकों के नाम, उनकी संख्या तथा उनका मूल्य कितना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १ अनबन्ध संख्या ४५**]

मंत्रालयों में चपरासी तथा अर्दली

†१८३. **श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में चपरासी तथा अर्दलियों की संख्या कितनी है तथा उस में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये रक्षित स्थानों की पूर्ति हो गई; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अर्दली नाम के कोई पद अलग से नहीं हैं। चपरासियों के बारे में अब तक प्राप्त वांछित जानकारी वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६**] तीन विभागों से सूचना मिलना अभी शेष है।

(ख) तथा (ग). रक्षित अभ्यांश के अनुसार अनुसूचित जाति के स्थानों की पूर्ति तो हुई है लेकिन सरकार की पूरी कोशिशों के बावजूद भी अनुसूचित आदिम जाति के स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है क्योंकि वे काफी संख्या में नौकरी के लिये नहीं आते।

अन्दमान में शरणार्थियों का पुनर्वास

†१८४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान टापुओं में मूल निवासियों, आकर बसने वाले, तथा शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) किस वर्ष से शरणार्थियों को वहां बसाया जा रहा है ;

(ग) शरणार्थियों का अंतिम दल वहां कब पहुंचा था ;

(घ) क्या अन्दमान टापुओं में कोई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षा का माध्यम बंगाली हो;

(ङ) यदि हां, तो कितने;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां ऐसे स्कूल बनाने का है ; और

(छ) यदि हां तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अन्दमान टापुओं की वर्तमान जनसंख्या ३५,००० है जिस में १००० आदिवासी, १७०० पुराने प्रवासी, लगभग ९,००० पूर्वी बंगाल से आये नये प्रवासी (विस्थापित व्यक्ति), लगभग १००० देश के अन्य भागों से आये नये प्रवासी, तथा लगभग ७००० अन्य व्यक्ति हैं।

(ख) १९४९ से।

(ग) १८ जून १९५९ को।

(घ) जी हां।

(ङ) ३३ प्राथमिक स्कूल हैं जिनका माध्यम बंगाली है।

(च) तथा (छ). ये प्रश्न नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के चीनी विक्रेता

†१८५. **श्री पांगरकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से बम्बई तथा उत्तर प्रदेश के चीनी विक्रेताओं के बारे में आयकर की दृष्टि से वर्ष १९५८–५९ में उनके द्वारा किये गये लाभ के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में एक पुलिस पदाधिकारी के छुरा भौंकना

†१८६. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० सितम्बर, १९५९ को पहाड़गंज, दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी को एक सिपाही ने छुरा मार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना की विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब पन्त) :** (क) जी हां ।

(ख) १० सितम्बर, १९५९ को प्रातः ७ बजे एक पुलिस सिपाही ने एक इन्सपैक्टर के क्वार्टर में घुसने का प्रयत्न किया । यह इन्सपैक्टर कुछ घंटे पूर्व ही रात के गश्त से वापस आया था । इन्सपैक्टर के लड़के ने सिपाही को रोका लेकिन सिपाही ने उस पर चाकू से वार किया और इन्सपैक्टर के कमरे में घुस गया । सिपाही ने इन्सपैक्टर पर चाकू से हमला किया और व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई । कुछ दूसरे पुलिस पदाधिकारियों ने जो उस समय घटनास्थल पर पहुंच गये थे, उस सिपाही को पकड़ लिया और भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा ३०७ और ४५२ के अधीन उस सिपाही के विरुद्ध अदालत में मुकद्दमा दायर कर दिया गया है ।

भिलाई परियोजना में विदेशी

†१८७. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना के लिये श्रेणीवार कितने विदेशी प्रविधिज्ञ इस देश में लाये गये ;

(ख) श्रेणी-वार वे कितने समय तक रहेंगे ;

(ग) क्या उनके स्थानों पर भारतीयों को नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है ताकि जब वे छोड़ कर जायें तो कारखाने में काम न रुके ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस समय कितने भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि प्रशिक्षणाधीन व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ४ नवम्बर, १९५९ तक भिलाई इस्पात परियोजना के लिये ११६२ रूसी व्यक्तियों को निम्नलिखित वेतन पर भारत लाया गया :

२	चीफ़ इंजीनियर	४,५०० रुपये प्रति मास
३७	लीडिंग स्पेशलिस्ट्स	२,८५० रुपये प्रति मास
१४१	स्पेशलिस्ट्स	२,४०० रुपये प्रति मास
२६६	टेक्निशियन्स आर लीडिंग फ़ोर मैन	२,२०० रुपये प्रति मास
७०	दुभाषिये	१,९५० रुपये प्रति मास
११४	फोरमैन और एडजस्टर	१,८०० रुपये प्रति मास
५३२	अन्य टेक्निशियन्स	१,५०० रुपये प्रति मास
११६२		

(ख) इन में से ३३४ रूस वापस चले गये हैं। बाकी ८२८ रूसी विशेषज्ञों की, जिनमें ६२३ निर्माण विशेषज्ञ और २०५ संचालन विशेषज्ञ हैं, निम्नलिखित तिथि तक वापस चले जाने की संभावना है :—

१	चीफ़ इन्जीनियर	१९६१ के बाद का भाग
२९	लीडिंग स्पेशलिस्ट	अप्रैल, १९६१
११३	स्पेशलिस्ट	अप्रैल, १९६१
१९८	टेक्निशियन और लीडिंग फ़ोरमैन	अप्रैल, १९६१
५४	दुभाषिये	अगस्त, १९६१
८८	फ़ोरमैन और एडजस्टर	जनवरी, १९६१
३४५	अन्य टेक्निशियन	नवम्बर, १९६० ।

(ग) निर्माण-कार्य सम्बन्धी रूसी विशेषज्ञ विशिष्ट अवधि और विशिष्ट कार्य के लिये लाये गये हैं और जैसे ही वह कार्य जिन पर वे लगे हुए हैं, पूरा हो जाता है, उनको वापस उनके देश भेज दिया जाता है । कार्य-संचालन में लगे हुए रूसी प्रविधिज्ञों से धीरे धीरे कार्य-भार संभालने के लिये भारतीयों को प्रशिक्षण देने का एक नियमित कार्यक्रम है।

(घ) इस्पात संयंत्र को चलाने के लिये २६४ सीनियर पदाधिकारियों, इंजीनियरों और स्नातक प्रशिक्षार्थियों को रूस में प्रशिक्षण दिया गया है और ६० स्नातक प्रशिक्षार्थी अभी वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरों को भारत में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गयी है । इस समय विभिन्न संस्थानों में ऐसे ६१ इंजीनियर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बुनियादी शिक्षा योजना

†१८८ { **श्री अ० क० गोपालन :**
　　　{ **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने स्कूलों में बुनियादी शिक्षा योजना लागू की जा चुकी है ;

(ख) रूई, चार्ट पेपर, रंग, चमड़ा, बढ़ईगीरी का सामान आदि खरीदने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल को कोई अतिरिक्त धन मंजूर किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक स्कूल के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) दिल्ली नगर निगम के अधीन ३७९ स्कूल, नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन २० स्कूल और छावनी बोर्ड के अधीन १ स्कूल ।

(ख) और (ग). दिल्ली नगर निगम के अधीन स्कूलों को आर्ट और क्राफ्ट के लिये कच्चा माल और उपकरण दिये जाते हैं जो कि उनकी कुल आवश्यकता के अनुसार इकट्ठी अधिक मात्रा में खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल को मासिक आकस्मिकता के रूप में १० रुपये दिये जाते हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका ने कक्षा के प्रत्येक भाग के लिये ५०० रुपये मंजूर किये हैं। छावनी बोर्ड द्वारा उनके द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल के लिये २०० रुपये मंजूर किये गये हैं।

बुनियादी शिक्षा सप्ताह

†१८९. { **श्री अ० क० गोपालन :**
　　　{ **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को २१ से २६ जनवरी, १९६० तक "बुनियादी शिक्षा सप्ताह" मनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सुझाये गये कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि २६ जनवरी को "गणतंत्र दिवस" के कारण लोगों को परिवहन की कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने तिथि निश्चित करते समय इस कठिनाई पर भी विचार किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) राज्य सरकारों से "बुनियादी शिक्षा सप्ताह" मनाने को कहा गया है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८ और १९५९ में भी बुनियादी शिक्षा सप्ताह इन्हीं दिनों मनाया गया था परन्तु सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में 'गर्म-झरना'

†१९०. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में ओम्पी—तेलियामूरा सड़क के समीप "गर्म झरने' का पता लगाया गया है और त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् गर्म झरने तक एक ५ मील लम्बी सड़क बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). भारत के भू-परिमाप विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। त्रिपुरा प्रशासन ने बताया है कि त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद को आम्पी के व्यक्तियों से पता लगा कि बारामूल पहाड़ी के नीचे और आम्पी बाजार से लगभग ५ मील पश्चिम में पथरबाड़ी गांव में एक गर्म झरना है। आम्पी—तेलिया—मूरा रोड से गर्म झरने तक किसी सड़क के बनाने का अभी कोई इरादा नहीं है।

आदिम जातीय कल्याण

†१९१. **श्री ओझा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जातीय कल्याण कार्य कर रहे भारतीय आदिमजाति सेवक संघ द्वारा अखिल भारतीय और प्रादेशिक आधार पर कितने आजीवन सदस्य बनाये गये?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा अखिल भारतीय आधार पर १६ आजीवन सदस्य बनाये गये। उन्होंने प्रादेशिक आधार पर कोई आजीवन सदस्य नहीं बनाया।

वर्ष १९५९ में आत्महत्यायें

†१९२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष १९५९ में आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) उनका क्या कारण था?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही दे दी जायेगी।

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित

†१९३. **श्री रामम् :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों को १९५९-६० के पहले छः महीनों में छोटे व्यापार के लिये छोटी रकम के ऋण दिये गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र आये;

(ग) कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया; और

(घ) इस प्रकार कितना धन दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) १७।

(ग) पांच।

(घ) २,६०० रुपये। अक्तूबर, १६५६ में १८ राजनीतिक पीड़ितों को १४,४०० रुपये और दिये गये।

केरल में ललित कला अकादमी

†**१६४. श्री कोडियान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार का केरल में एक ललित कला अकादमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब बनायी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). ललित कला अकादमी स्थापित करने के प्रश्न पर केरल सरकार विचार कर रही है।

अमरीकी टैंकर का लूटा जाना

†**१६५. श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव में किलतान द्वीप में अरेबियन सागर में धरती में फंसे हुए अमरीकी टैंकर "नेशनल पीस" को लूट लिया गया; और

(ख) यदि हां, तो टैंकर की सम्पत्ति को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और उसे क्या सहायता दी गयी है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) इस बारे में एक रिपोर्ट मिली थी कि लक्कदीव में किलतान द्वीप में अरेबियन सागर में जो अमरीकी टैंकर धरती में फंस गया था, वह लूट लिया गया; और

(ख) मामले की जांच करने और टैंकर की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये किलतान द्वीप में एक पुलिस दल भेज दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अपराध

†१९६. { **श्री राधा रमण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपराधों की घटनाओं के मूल्यांकन से पता लगा है कि यह वृद्धि पर है ;

(ख) क्या इसको न्यूनतम करने के लिये कोई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ; और

(घ) क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में छोटे और बड़े (कुल) अपराध बताये गये हों ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) १९५९ में पहले वर्ष की अपेक्षा दिल्ली में अपराधों में कमी हुई है ।

(ख) और (ग). अपराधों में यथा सम्भव कमी करने के लिये उचित उपाय किये जा रहे हैं । इनमें निरन्तर सतर्कता, पुलिस फ्लाइंग स्क्वैड संगठन और नये पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों की स्थापना सम्मिलित है ।

(घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]** १९५७ और १९५८ में अपराधों के कुल आंकड़ों में वृद्धि रिपोर्ट करने की सुविधाओं और जन संख्या में वृद्धि के कारण है ।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्

†१९७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् की एक बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) बैठक की कार्यवाही, इसको अन्तिम रूप दिये जाने पर, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में स्कूलों के छात्रावास

†१९८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५८-५९ में पंजाब राज्य में स्कूलों के छात्रावास बनाने के लिये ऋण के रूप में कोई धन मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था को कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत तदर्थ समितियां

†१९९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री उन तदर्थ समितियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने १ जनवरी, १९५९ से १ नवम्बर, १९५९ तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन काम किया ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (श्री रघुरामैया):** तदर्थ समितियों के नाम निम्न प्रकार हैं :

(१) १९५३ में यूरोप से खरीदे गये कुछ वायु सेना के लिये गोला बारूदों की खरीद और इससे सम्बद्ध मामलों की जांच करने सम्बन्धी समिति ।

(२) २९/३० अक्तूबर, १९५८ की रात्रि को एक वायुसेना संस्थान में आग लग जाने के कारणों की जांच करने और इसके द्वारा हुई हानि का पता लगाने सम्बन्धी समिति ।

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, इस अवधि में, एक और अन्य समिति नियुक्त की गई थी, परन्तु उस समिति के बारे में जानकारी देना लोक-हित में नहीं होगा ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

†२००. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन (श्रेणी-वार) कुल कितने सचिव, सहायक सचिव, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क हैं ; और

(ख) उनमें से कितने (श्रेणी-वार) अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :**

(क) सचिव	४
अवर सचिव	५
(सहायक सचिवों को अब अवर सचिव कहा जाता है)	
अपर डिवीज़न क्लर्क	१६२
(उन्हें अब सीनियर क्लर्क कहा जाता है)	
लोअर डिवीज़न क्लर्क	१६०७
(उन्हें अब जूनियर क्लर्क कहा जाता है)	
(ख) १. सचिव	शून्य
२. अवर सचिव	शून्य
३. अपर डिवीज़न क्लर्क	३
४. लोअर डिवीज़न क्लर्क	१००

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को कोयले का आवंटन

†२०१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को १९५९ में विभिन्न श्रेणियों का कुल कितना कोयला आवंटित किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक श्रेणी के अधीन अब तक कुल कितना कोयला दिया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें पंजाब में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित विभिन्न उद्योगों के लिये १९५९ के लिये कोयले का आवंटन और जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९५९ तक को अवधि में कोयला भेजा जाने के बारे में ब्योरा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]** सभा पटल पर एक और विवरण रखा जाता है जिसमें पंजाब राज्य में स्थापित परन्तु सिफारिश करने वाले केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत उद्योगों को जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९५९ तक भेजे गये कोयले के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

केरल में नहर

†२०३. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम से क्विलोन तक नहर में मिट्टी भर गई है जिसके परिणामस्वरूप बड़ा देशी नौकाओं के आवागमन में बहुत कठिनाई हो गई है अथवा वह असम्भव सा हो गया है ; और

(ख) 'नदियाना थोडू' और 'क्विलोन थोडू' की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सामान्यतः १५ टन वाली देशी नौकायें क्विलोन-त्रिवेन्द्रम नहर में आ जा सकती हैं । न ही नदियाना थोडू में और न ही क्विलोन थोडू में ऐसे यातायात के लिये कोई रुकावट है ।

स्कूलों में नैतिक शिक्षा

†२०४. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में नैतिक शिक्षा आरम्भ करने के लिये एक योजना बनाने के लिये समिति स्थापित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं; और

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति के सदस्य निम्न हैं :

१. श्री श्री प्रकाश, (प्रधान)

बम्बई के गवर्नर ।

२. श्री जी० सी० चटर्जी,

चेयरमैन

बोर्ड ग्राफ सेकण्डरी एजूकेशन, राजस्थान,

२३ रामबाग रोड, जयपुर ।

३. श्री ए० ए० ए० फैजी,

उप-कुलपति,

जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय,

श्रीनगर ।

४. श्री पी० एम० किरपाल, (सदस्य सचिव)

संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय ।

(ग) समिति के निदेश-पद ये हैं :

(१) शिक्षण संस्थाओं में नैतिक और धार्मिक महत्व की बातें पढ़ने के लिये विशिष्ट व्यवस्था किये जाने की वांछनीयता और व्यवहार्यता की जांच करना ।

(२) यदि ऐसी व्यवस्था करना वांछनीय और व्यवहार्य हो तो (क) शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर अनुदेशों को व्याख्या करना, और (२) सामान्य पाठ-चारिका में इसको स्थान देने पर विचार करना ।

औद्योगिक प्रबन्ध पूल

†२०५. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रबन्ध पूल में प्रत्येक श्रेणी में कितने अभ्यार्थियों ने प्रस्ताव मान लिये हैं; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने पदों पर नियुक्तियों के प्रस्ताव अभी भेजे जाने बाकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख).

श्रेणी	प्रस्ताव स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	उन पदों की संख्या जिनके लिये नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाने बाकी हैं
१	शून्य	शून्य
२	३	१
३	६	३
४	८	१६
५	२०	१४
६	३१	१२
७	४३	१०
निम्न (लोअर)	२	—
कुल	११३	५६

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

२०६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अब तक किन-किन पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : न्यास ने अभी तक कोई अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या १५८० के उत्तर में शुद्धि

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : २७–८–१९५९ को लोक-सभा में श्री मं० वे० कृष्ण राव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५८० के भाग (क) के उत्तर में मैंने बताया था कि आन्ध्र प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को १९५९–६० में अब तक ४६,४३,५७२ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

वास्तविक स्थिति यह है कि तब तक ६१,४३,५७२ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी थी।

श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी का निधन

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी की मृत्यु आज सुबह नई दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गयी। उनकी आयु ६० वर्ष थी।

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव चुनावक्षेत्र से निर्वाचित इस सभा के विद्यमान सदस्य थे। वह संविधान सभा तथा प्रथम लोक-सभा के भी सदस्य थे।

हमें उनके निधन पर बहुत दुख है। मुझे विश्वास है कि उनके दुखी परिवार के लिए संवेदना भेजने में यह सभा मेरे साथ है।

शोक प्रकट करने के लिए सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहेंगे।

(इसके पश्चात सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे)

†**अध्यक्ष महोदय** : दिवंगत के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पुरानी प्रथा के अनुसार सभा की बैठक दिन के शेष समय के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, १९ नवम्बर, १९५९/२८ कार्तिक, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १८ नवम्बर, १९५९

२७ कार्तिक, १८८१ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४७—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
७७	दिल्ली परिवहन उपक्रम	२४७—४८
७८	प्राचीन मूर्तियों का अनधिकृत निर्यात	२४८—५०
७९	रुरकेला इस्पात कारखाने के लिए लौह-अयस्क	२५१—५२
८०	बम्बई राज्य का विभाजन	२५२—५४
८१	केन्द्रीय वेतन आयोग	२५४—५५
८२	मिश्रधातु और औजारी इस्पात कारखाना	२५६—५८
८३	इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाईअक्साइड	२५८—५९
८४	छोटी धमन भट्टियां	२५९—६१
८५	देवनागरी लिपि में सुधार	२६१—६३
८६	कानपुर की हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी में बूट संयंत्र	२६३
८७	माध्यमिक पब्लिक परीक्षाओं में असफल परीक्षार्थी	२६४—६६
८८	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों का कल्याण	२६६—६७
८९	दिल्ली अध्यापक संघ	२६८—६९
९०	भारतीय मुद्रा के मूल्य में कमी	२६९—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२७०—३१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
९१	चुनाव आयोग की सिफारिशें	२७०—७१
९२	नूनमती (गोहाटी) तेल शोधन कारखाना	२७१—७२
९३	केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन	२७२
९४	अन्दमान में लोक-तंत्रात्मक सुधार	२७२
९५	क्रिकेट में प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी विशेषज्ञ	२७२—७३
९६	कारुण्य उपदान निधि	२७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित
प्रश्न संख्या

९७	नेवेली लिग्नाइट परियोजना	२७३–७४
९८	रूरकेला में नाइट्रिक एसीड का कारखाना	२७४
९९	केल्शियम कार्बाइड	२७४–७५
१००	इस्पात की खपत के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति	२७५
१०१	संरक्षित स्मारक	२७६
१०२	धनबाद का खानों और व्यावहारिक भूतत्व शास्त्र सम्बन्धी भारतीय स्कूल	२७६–७७
१०३	टैगोर शताब्दी समारोह	२७७
१०४	एक टन वाले ट्रकों का निर्माण	२७८
१०५	भारत में रहने वाले चीनी	२७८
१०६	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्यालय	२७८
१०७	आसाम राइफल्स और मनीपुर पुलिस के कर्मचारियों में मुठभेड़	२७९
१०८	शिक्षा संस्थाओं को अनुदान	२७९
१०९	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पवन चक्की	२७९–८०
११०	सस्ते रेडियो सेट	२८०
१११	अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षायें	२८०–८१
११२	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें	२८१
११३	कृत्रिम अवयब केन्द्र, पूना का विस्तार	२८१–८२
११४	अपाहिज लोगों की शिक्षा	२८२
११५	दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं	२८२
११६	केरल जेमनी करम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक, १९५७	२८२
११७	नाट्यशालाए	२८३
११८	दिल्ली में बिजली का श्मशान	२८३–८४
११९	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी स्टोर	२८४
१२०	इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड	२८४–८५
१२१	मृत्यु दण्ड	२८५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३०	आयात लाइसेंसों की अवधि का समाप्त होना	२८५
१३१	बम्बई में पालीटेक्नीक संस्थाएं	२८५–८६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३२	बम्बई में खुदाई	२८६
१३३	औरंगाबाद के संरक्षित स्मारक . .	२८६–८७
१३४	बम्बई के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक.	२८७
१३५	बम्बई के सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक	२८७
१३६	पाकिस्तानी हरकारों की गिरफ्तारी	२८७
१३७	एम० ई० एस० द्वारा निर्मित भवन	२८८
१३८	इमारती लकड़ी की बिक्री .	२८८
१३९	बिहार में भारत के राज्य बैंक की शाखायें .	२८८
१४०	जम्मू और काश्मीर में भारत के राज्य बैंक की शाखायें	२८८–८९
१४१	दिल्ली में अवैध टकसाल	२८९
१४२	औषधोपयोगी जड़ी बूटियां	२८९
१४३	पंजाब में तम्बाकू की खेती .	२८९–९०
१४४	एम० ई० एस० में ठेके की पद्धति	२९०
१४५	व्यय कर . . .	२९०
१४६	सरकारी अधिकारियों द्वारा बिदेशों के दौरे	२९०–९१
१४७	धन कर की वसूली	२९१
१४८	उड़ीसा में अध्यापक	२९१
१४९	उड़ीसा में लौह अयस्क का खनन	२९१–९२
१५०	उड़ीसा के संरक्षित स्मारक . .	२९२
१५१	उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं में खेल के मैदान	२९२–९३
१५२	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	२९३
१५३	श्रम तथा समाज सेवा शिविर	२९३
१५४	उड़ीसा राज्य में कर	२९४
१५५	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	२९४
१५६	उड़ीसा खनन निगम	२९४
१५७	१९६१ की जनगणना	२९५
१५८	परीक्षा पद्धति में सुधार	२९५–९६
१५९	महेन्द्रगढ़ में खनिज पदार्थ .	२९६
१६०	छावनियों में सेवा सहकारी समितियां	२९६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६१	इस्पात के उत्पादन की लागत .	२९६-९७
१६२	इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का केन्द्रीय पूल	२९७
१६३	सेना आवास परियोजना .	२९७
१६४	बाल संग्रहालय .	२९७
१६५	उड़ीसा राज्य में कुएं . .	२९८
१६६	दिल्ली में बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक .	२९८
१६७	सरकारी कर्मचारियों को अधिक समय काम करने का भत्ता	२९८-९९
१६८	मतदाताओं के फोटो	२९९-३००
१६९	सैनिकों की सेवामुक्ति	३००
१७०	हिमाचल प्रदेश में तेल सर्वेक्षण	३००-०१
१७१	हिमाचल प्रदेश में गन्धक की खोज	३०१
१७२	संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन	३०२
१७३	उत्तर प्रदेश में चूने का पत्थर . .	३०२-०३
१७४	जम्मू और काश्मीर के लिए, आई ए० एस० कोटि	३०३
१७५	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	३०३-०४
१७६	बहरे गूंगों की शिक्षण संस्थाओं को सहायता	३०५
१७७	त्रिचूर में इन्जिनियरिंग कालिज	३०५
१७८	त्रिची में लिगनाइट निक्षेप	३०५-०६
१७९	मद्रास में लिगनाइट निक्षेप . . .	३०६
१८०	ताड़ी दुकान के गैर-सरकारी ठेकेदारों पर बकाया राशि	३०६-०७
१८१	केरल में राज्य परिवहन के कर्मचारी	३०७
१८२	हिन्दी पुस्तकों का उपहार	३०७
१८३	मंत्रालयों में चपरासी तथा अर्दली	३०७-०८
१८४	अन्दमान में शरणार्थियों का पुनर्वास .	३०८
१८५	उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के चीनी विक्रेता	३०९
१८६	दिल्ली में एक पुलिस पदाधिकारी के छुरा भौंकना	३०९
१८७	भिलाई परियोजना में विदेशी	३०९-१०
१८८	दिल्ली में बुनियादी शिक्षा योजना	३११
१८९	बुनियादी शिक्षा सप्ताह	३११-१२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६०	त्रिपुरा में 'गर्म झरना'	३१२
१६१	आदिम जातीय कल्याण	३१२
१६२	वर्ष १६५६ में आत्महत्याओं .	३१२
१६३	दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित .	३१२-१३
१६४	केरल में ललित कला अकादमी . .	३१३
१६५	अमरीकी टैंकर का लूटा जाना . . .	३१३
१६६	दिल्ली में अपराध . . .	३१४
१६७	अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्	३१४
१६८	पंजाब में स्कूलों के छात्रावास . . .	३१४
१६६	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत तदर्थ समितियां	३१५
२००	हिमाचल प्रदेश प्रशासन . . .	३१५
२०१	पंजाब को कोयले का आवंटन . . .	३१६
२०३	केरल में नहर . .	३१६
२०४	स्कूलों में नैतिक शिक्षा .	३१६-१७
२०५	औद्योगिक प्रबन्ध पूल . .	३१७-१८
२०६	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास .	३१८